709वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 04 जनवरी 2024

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त परियोजनाओ के तकनीकी परीक्षण हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 709वीं बैठक दिनांक 04/01/2024 को डॉ. पी.सी. दुबे की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें समिति के निम्नलिखित सदस्य स्वयं/वीडियों कॉफ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित रहें :–

1. श्री राघवेन्द्र श्रीवास्तव, सदस्य ।
2. प्रो. (डॉ.) रूबीना चौधरी, सदस्य ।
3. डॉ. ए.के. शर्मा, सदस्य ।
4. प्रो. अनिल प्रकाश, सदस्य ।
5. डॉ. जय प्रकाश शुक्ला, सदस्य ।
6. डॉ. रवि बिहारी श्रीवास्तव, सदस्य ।
7. श्री चन्द्र मोहन ठाकुर, सदस्य सचिव ।

सभी सदस्यों द्वारा अक्ष्यक्ष महोदय के स्वागत के साथ बैठक प्रारंभ करते हुए बैठक के निर्धारित एजेण्डा अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रोजेक्ट्सों का तकनीकी परीक्षण निम्नानुसार किया गया :–

1. Case No 9714/2023 Shri Alok Pathak, DFO, Divisional Forest Officer, Bhopal Division, 74 Bunglow, Khel Parisar, Link Road No. 1, District-Bhopal (MP)-462003 . Prior Environment Clearance for Construction of Van Bhawan, Bhopal Project of Office of Forest Department, Total Plot Area-10.28 acres, Total Built-up Area-38752.51 sqm) at Khasra No. 1499/2 and Part of 1500, Tehsil-Huzur, District-Bhopal, (MP).

This is a case for Environment Clearance for Construction and development of Office buildings and premises of Forest Department "Van Bhawan", Bhopal [Total Plot Area-10.28 acres and Total Built-up Area- 38752.51 sqm) located at Khasra No. 1499/2 and Part of 1500, Tehsil-Huzur, District-Bhopal, (MP) under violation. A maximum part of the project has already been developed / constructed.

The case was earlier presented by Env. Consultant Shri Umesh Mishra of M/s. Creative Enviro Services, Bhopal and Shri R. S. Bhadoriya, authorized representative of PP Shri Shri Alok Pathak, DFO, Divisional Forest Officer, Bhopal in the SEAC 630th meeting dated 17.03.2023, based on the observations and submissions TORs' were issued to prepare EIA, EMP and Augmentation / Remediation Plans vide letter No. 184/SEIAA/2023 dated 21/04/2023.

SEIAA forwarded EIA report on –line through Parivesh Portal for appraisal on dated 07.08.2023 which scheduled by SEAC for EIA presentation in the 667th meeting dated 08.8.2023. The EIA was presented by Env. Consultant Shri Umesh Mishra M/s. Creative Enviro Services, Bhopal and Shri R. S. Bhadoriya, authorized representative behalf of PP. After deliberations following queries were issued –

709वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 04 जनवरी 2024

1. प्रकरण को पूर्व मे किन कारणों से वापिस लिया गया तथा किन कारणों से पुनः प्रस्तुत किया गया, उक्त संबंध में Chronological Order मे तथा तथ्यात्मक रूप से प्रस्तुत नही किया गया।
2. ग्राम तथा नगर निवेश (T&CP) द्वारा क्रमांक 1 से 27 तक शर्ते लगायी गई थी उसका बिन्दुवार पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नही किया गया।
3. STP की क्षमता का किस आधार पर निर्धारण किया गया स्पष्ट नही किया गया।
4. वाहन की पार्किंग की क्षमता का आधार स्पष्ट नही किया गया।
5. Fire Safety हेतु क्या उपाय किये गये है अवगत नही कराया गया।
6. Proof of initiation of Credible action under Environment (Protection) Act, 1986 के अंतर्गत क्या कार्यवाही हुई, एंव कार्यवाही न किये जाने का पर्याप्त एंव तर्कसंगत कारण स्पष्ट करें।
7. Project Cost के ऊपर परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोई प्रमाणित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।
8. Project Cost को ध्यान मे रखते हुये तथा किये गये निर्माण कार्यो को ध्यान मे रखते हुये पर्यावरण, वन एंव जल वायु परिवर्तत मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी राजपत्र सं. 1031(E) दिनांक 08 मार्च 2018 में उल्लेखित प्रावधानों का अवलोकन करें। आपके द्वारा बिना पूर्व पर्यावरर्णीय अनापत्ति (Prior Environmental Clearance) के परियोजना का कार्य प्रारंभ किये जाने के कारण आपके प्रकरण को अतिक्रमण (**Violation**) मानते हुए आपकी परियोजना से हुई पर्यावरणीय क्षति के एवज् में आपने उसके सुधारात्मक प्रयास हेतु पारिस्थितिकी नुकसान, सुधारकारी योजना और प्राकृतिक तथा सामुदायिक संसाधन आर्वधन योजना (Assesment of ecological damage, remediation plan & Natural & Community resource Augmentation Plan) को तकनीकी/वैज्ञानिक रूप से राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) के समक्ष प्रस्तुत नही किया गया।
9. सोलर उर्जा का पर्याप्त प्रावधान किये जाने का पुनः विचार करें तथा उर्जा उपयोग 30% तक किये जाने पर विचार करें।
10. Sewage BOD level, CPHE द्वारा वर्तमान में जारी Guideline का पालन सुनिशचित करे।
11. Rain Water का अधिकतम कितना प्रतिशत भूमि मे पुर्नभरण किया जावेगा इसका विवरण देवें।
12. वृक्षारोपण, CER संबंधी कार्य का विवरण दिया जावें। उपरोक्त सभी प्रावधानों का EMP मे यथोचित पुनः निर्धारण कर प्रस्तुत करें।
13. वर्तमान मे निर्मित भवन का GPS Survey कर कुल निर्मित क्षेत्रफल से अवगत कराया जावें।
14. वन भवन की बिल्ड़िग में समुचित वेन्टीलेशन की क्या व्यवस्था की गई उसका विवरण प्रस्तुत किया जावें।
15. निर्मित भवन का पूर्णता प्रमाण–पत्र सक्षम अधिकारी से प्राप्त कर प्रस्तुत करें।

PP submitted responses to the above queries and the same were discussed in this meeting. Env. Consultant Shri Umesh Mishra of M/s. Creative Enviro Services, Bhopal and PP Shri Shri Alok Pathak, DFO, Divisional Forest Officer, Bhopal were present in the meeting for presentation and discussion. After discussion Committee directed the PP to submit clarification and supporting documents for the following:

- Hydro-geological Study of the area to ensure the aquifer recharging through rain-water harvesting.
- Revised STP proposal to ensure BOD below 3 mg/ Lt.
- Revised Plantation scheme considering the Carbon emissions during the operation phase.
- Revised CER as per the discussions, including the Tiger e-surveillance, Solar Power installations at Laharpur Eco-park, Wet-land re-development in Bhopal etc.
- Proper proposal for Remediation & Augmentation plan.

It was decided by the committee to visit the site to assess the activities undertaken by the project proponents as their environmental responsibility and to examine the eco-sensitivity.

2. <u>Case No 10442/2023 Ms Mina Adbhute, Lessee, R/o Village-Nahiya, Tehsil-Betul, District-Betul (MP)-460553, Prior Environment Clearance for Nahiya Stone Quarry in an area of 2.00 ha. (11,191 cum per year) (Khasra No. 51), Village-Nahiya, Tehsil-Betul, District-Betul (MP). DEIAA to SEIAA.</u>

समिति की 683वीं बैठक दिनांक 29/9/23 मे प्रस्तावित खदान का **डिया द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का री–एपराईजल हेतु** प्रस्तुतीकरण हुआ था। प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने यह पाया कि परिवेश पोर्टल पर जो गूगल ईमेज अपलोड़ है उसके आक्षांश–देशांश का मिलान माईनिंग प्लान के आक्षांश–देशांश से नही होता परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि त्रुटिवश ऐसा हो गया है । **अतः समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निर्देश दिये कि जिला खनिज अधिकारी से आक्षांश–देशांश को प्रमाणित कराकर पुनः प्रस्तुत करे** ।

प्रकरण में समिति की 695वीं बैठक दिनांक 21/11/23 को प्रस्तुतीकरण हुआ था । **परियोजना प्रस्तावक एवं उनके सलाहकार द्वारा दिया गया प्रस्तुतीकरण पूर्ण नहीं पाया गया। अतः समिति द्वारा पुनः निम्न बिन्दुओं पर जानकारी एवं आवश्यक दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गयेः–**

1. **ऑन लाईन फार्म–1 में डिया द्वारा जारी** पर्यावरर्णीय स्वीकृति मे प्रदत्त शर्तो के परिपालन मे की गई कार्यवाही की जानकारी नही दी गई है, अतः **उक्त जानकारी** प्रस्तुत करे ।
2. **खदान क्षेत्र के एक ओर फेंसिंग कार्य पूर्ण नही किया गया है अतः पत्थर की दीवाल आदि से पूर्ण कर पुनः प्रस्तुत करे ।**
3. **डिया द्वारा जारी** पर्यावरर्णीय स्वीकृति एंव तत्समय की **खनन् योजना के अनुसार स्टोन की उत्पादन क्षमता – 11,305 घन मीटर प्रतिवर्ष दर्शायी गई है, जबकि वर्तमान आवेदन मे नवीन खनन् योजना के अनुसार उत्पादन क्षमता – 11,191 घन मीटर प्रतिवर्ष दर्शायी गई है। इस संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करे ।**

709वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 04 जनवरी 2024

In the matter of the re-appraisal of the EC issued by the DEIAA, the PP requested to consider the information in Form 1 part (A), as given in the present mining plan but the committee suggested for providing information in Form 1 part (A) as it was presented during the DEIAA appraisal for grant of the EC. It is propose to take suitable decision by the SEIAA in this regard.

प्रकरण समिति की आज दिनांक 04/01/24 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध है, जिसमें परियोजना प्रस्तावक **Ms Mina Adbhute** (ऑनलाईन) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजराज उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।
उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी शर्तों के पालन प्रतिवेदन एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुर्न मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तो की समीक्षा की गई ।

समिति द्वारा पूर्व में जारी ई.सी. में अधिरोपित शर्तो की समीक्षा के दौरान निम्न शर्तो का पालन प्रतिवेदन देखा गया –

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तो की समीक्षा	पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति
लीज के चारों ओर फेन्सिग की वर्तमान स्थिति	70 % completed
ई.सी. में अधिरोपित शर्तो के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	45 plants are to be planted in the Barrier Zone. PP has planted 300 plants
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टेंक की वर्तमान स्थिति	20-25% completed
ई.सी. में अधिरोपित शर्तो के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	CER work has done

प्रकरण क परक्षण के उपरांत समिति ने पाया कि खदान क्षेत्र के दक्षिण दिशा एक कच्चा रोड खदान से लगाा हुआ हैं एवं उत्तरी दिशा में लगभग 30 मी. पर कच्चा रोड है। परीक्षण के उपरांत समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निम्न बिन्दुओं पर जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया :–

1. खदान क्षेत्र के दक्षिण दिशा एक कच्चा रोड खदान से लगाा हुआ हैं एवं उत्तरी दिशा में लगभग 30 मी. पर कच्चा रोड स्थित है अतः निर्धारित सेटबेक छोडते हुये पुर्नरीक्षित सरफेस मेप प्रस्तुत करें।
2. पुर्नरीक्षित वृक्षारोपण योजना।
3. खदान क्षेत्र के उत्तर दिशा में क्रशर लगाा हुआ है अतः कर्टटेंनिग वॉल का प्रस्ताव शामिल करते हुये ई.एम.पी. योजना।

3. <u>Case No 10177/2023 Shri Mukesh Verma, Owner, R/o Near Saint Anees School, Chanakyapuri, District-Sehore (MP)-466001, Prior Environment Clearance for Pagrawad Kalan Crusher Stone Quarry Project in an area of 4.00 ha. (25725 TPA) (Khasra No. 2/1, 2/5, 2/8, 2/9), Village-Pagrawad Kalan, Tehsil-Shujalpur, District-Shajapur (MP)</u> (DEIAA to SEIAA)

प्रस्तावित खदान का समिति की 690वीं बैठक दिनांक 17/10/2023 को प्रस्तुतीकरण हुआ था । समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निम्न बिन्दुओं पर विस्तृत जानकारी मय फोटोग्राफ एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों के प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया है :–

1. Copy of Form-I
2. Land status/P2:
3. Area & Location with Khasra no:
4. Current Ekal Praman Patra
5. Status of Eco-Sensitive Zone (mentioned in Old & new Ekal Praman Patr/SEIAA Proposal/DEIAA EC)
6. Production capacity and year wise production details, in tabular form till today:
7. OB Dump and waste management with facts and figures:
8. Top soil management with soil profile:
9. Detail of old Environment Clearance with validity period:
10. EC transfer details (if any), old EC no…..date…..
11. Lease agreement details with compliance of LRC provisions
12. Water requirement (KLD):
13. Green Area: in hac. & Number of plants to be planted (Proposed)
14. No of trees & tree felling total tree inventory with photos:
15. Work Done under CER with coordinates, photos & verifiable proof:
16. Compliance of EC conditions (EC granted by DEIAA):
    - Tree plantation (Target/compliance/ Photographs)
    - GPS Photo graphs of at least 25% plantation for the proposed plantation.
    - Fencing work (Polygon with GPS photos showing complete fencing in total periphery)
    - GPS Photo graphs of Garland drains length & number & size of settling tanks
    - Detail of plants distribution with list : name of villager's, mobile number, number of plants name of village.
    - Verifiable proof of CER
17. Drone photograph of 500 m radius of proposed area.
18. Carbon footprint.
19. Compliance of water/ air consents issued by MPPCB.

उपरोक्त जानकारी परियोजना प्रस्तावक ने दिनांक 02/12/23 को प्रस्तुत कर दी है, जिसे समिति के समक्ष दिनांक 04/01/24 को रखा गया, जिमसें परियोजना प्रस्तावक श्री मुकेश वर्मा (ऑनलाईन) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार सुश्री रश्मि सारस्वत जेनिथ इंवायरोमेंट कंसल्टेंसी, नोएड, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तो की समीक्षा	पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति
लीज के चारों ओर फेन्सिग की वर्तमान स्थिति	अपूर्ण है।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तो के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	बेरियर जोन में वृक्षारोपण नहीं किया गया।
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टेंक की वर्तमान स्थिति	अपूर्ण है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर–25,725 टीपीए ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 08.18 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 02.00 लाख प्रति वर्ष ।
3. **डिया द्वारा जारी ई.सी की समस्त शर्तो का एवं उपरोक्तानुसार दर्शायें गये कार्यो को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर 03 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेगें।**
4. अन्य शर्तो का पालन प्रतिवेदन नियमानुसार प्रत्येक 06 माह में खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेगें।
5. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.30 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
शासकीय प्राथमिक शाला पग पगरावाद कलाँ में 10 कुर्सिया की व्यवस्था	**15,000**
शाजापुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर प्रभारी अधिकारी के सलाह के अनुसार सामग्री का वितरण	**15,000**

6. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 4000 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)

	स्थान		
1	बैरियर जोन	नीम, खमेर, सिरस (काला और सफ़ेद), जंगल जलेबी, आंवला, चिरोल, करंज, सिस्सू एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	200
2	परिवहन मार्ग	खमेर, चिरोल, करंज, बीजा, जंगल जलेबी, कदम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	500
3	ग्रामवासियो में वितरण हेतु	नीम, आम, कटहल, बेर, आँवला, हर्रा, महुआ, कबीट, नींबू, बहेरा, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	1200
4	ग्राम पंचायत के सहयोग से ग्राम पंचायत के चिन्हित क्षेत्र में	नीम, आम, कटहल, बेर, आँवला, हर्रा, महुआ, कबीट, नींबू, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	1100
5	ग्राम पंचायत के प्राथमिक शाला, आंगनवाड़ी एवं ग्राम पंचायत परिसर में	कदम, नीम, खमेर, सिस्सू. एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	1000

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं खनन अवधि तक उन पौधों का रख–रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना। परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गॉव का नाम, लाभांवित व्यक्ति/कृषक का नाम, मोबाईल नम्बर, खसरा नम्बर एवं प्रजाति का विवरण तथा कितने पौधे वितरित किये गये की संख्या देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।

4. <u>Case No 10800/2023 Shri Harishankar Shukla, Jr. Manager, OIC, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Pondikala-2 River Sand Mine in an area of 4.80 ha. (86400 cum per year) (Khasra No. 1801/2062), Village-Pondi Kalan, Tehsil-Jaisinghnagar, District-Shahdol (MP)</u>

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 04/01/2024 को परियोजना प्रस्तावक Shri Harishankar Shukla, Jr. Manager, श्री प्रभात पट्टा, खनिज निरिक्षक एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मे0. ओसियो इंवारो मैनेजमेंट सॉल्युशन (इ) प्रा. लि. गाजियाबाद (उ.प्र.), उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

709वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 04 जनवरी 2024

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी /संस्थान का नाम व पता	Shri Harishankar Shukla, Jr. Manager, OIC, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Pondikala-2 River Sand Mine in an area of 4.80 ha. (86,400 cum per year) (Khasra No. 1801/2062), Village-Pondi Kalan, Tehsil-Jaisinghnagar, District-Shahdol (MP) [432447]	
परियोजना का खसरा नं./एरिया	खसरा न0.– 1801/2062, एरिया – 4.80 हे.	शासकीय
परियोजना स्थल	ग्राम– पोंड़ी तह.–जयसिंगनगर जिला–शहड़ोल (म.प्र.).	
परियोजना श्रेणी	बी–2 श्रेणी,	
सैद्वांतिक सहमति	पत्र दिनांक 31/05/2023.	
रेत प्रकरणों में नदी का नाम	यह खदान **सोन नदी** में स्थित है।	
डिया ई.सी. स्थिति	लागू नही।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा **रेत – 86,400 घनमीटर/वर्ष** हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार **रेत – 86,400 घनमीटर/वर्ष** हेतु स्वीकृत है।	
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित /स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण।	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला – उमरिया के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 577 दिनांक 10/08/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित/स्वीकृत नही है, जिनको मिलाकर कुल रकबा 4.80 हे0. होता है, अतः प्रकरण बी. – 2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।	
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उमरिया के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 577 दिनांक 10/08/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।	
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उमरिया के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 577 दिनांक 10/08/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, नाला इत्यादि स्थित नहीं है।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनुमति	ग्राम पंचायत पोंडीकला जिला – शहड़ोल के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 05 दिनांक 26/01/2018 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपित्त नहीं है।	
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–04 के सरल क्रमांक–05 पर दर्ज है।	

प्रस्तुतीकरण के प्रारंभ में उनके परियोजना प्रस्तावक /पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया कि 500 मीटर की परिधि में अन्य खदान आ जाने के कारण प्रकरण बी–1 श्रेणी में आ गया है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को मान्य करते हुये समिति ने निर्णय लिया कि इस प्रकरण की बी–2 श्रेणी में अनुशंसा नहीं की जाती है।

5. <u>Case No -10484/2023 Shri Harishankar Shukla, Jr. Manager, OIC, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Kolhuwa Sand Mine in an area of 4.046 ha. 52,680 cum per year) (Khasra No. 01), Village-Kolhuwa, Tehsil-Jaitpur, District-Shahdol (MP).</u>

परियोजना प्रस्तावक श्री हरिशंकर शुक्ला, उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मेसर्स ओशियो इंवायरो मैनेजमेंट सॉल्यूशन्स (इं.) प्रा.लि., गाजियाबाद, उ.प्र. एवं साथ में श्री देवेन्द्र पटले, खजिन अधिकारी के द्वारा दिनांक 12/10/2023 को परिवेश पोर्टल पर अपलोड जानकारी अनुसार **जिला – शहड़ोल** के अनुमोदित डी.एस.आर के पेज न. 60, सरल क्रमांक **04** पर सूचीबद्ध रेत खदान के संबंध में समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

खदान **कोनुक** नदी पर ग्राम **कोल्हुआ** के निकट **4.046** हे. क्षेत्रफल पर 52,680 घनमीटर प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता हेतु प्रस्तावित है। समिति द्वारा खदान से संबंधित माईनिंग प्लान, डी.एस.आर., के.एम.एल तथा जिला प्रशासन द्वारा जारी एकल प्रमाण पत्र का समिति द्वारा अवलोकन किया गया, जिसके आधार पर बी–2 श्रेणी अंतर्गत मूल्यांकन किया गया है। उपरोक्त तथ्यों के परीक्षण अनुसार संवेदनशील पैरा मीटर्स के आधार पर परियोजना प्रस्तावक द्वारा सरफेस मेप तथा परिवहन मार्ग तैयार किया गया है।

समिति द्वारा विभिन्न पर्यावरणीय पहलूओं के दृष्टिगत प्रकरण का परीक्षणकिया गया प्रकरण के परीक्षणके दौरान पाया कि इस प्रकरण में खदान के बीच में पक्का रोड़ ब्रिज स्थित है जो मेजर ब्रिज है **Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 के पेज न. 22 के पैरा "एच" एवं पेज न. 24 के पैरा "आर" के अंतर्गत** 01कि.मी. का निर्धारित सेटबेक छोडने पर खदान समाप्त हो जाती है। सेड गाईडलाईन 2020 के पैरा 24 के अनुसार इसमें 01 कि.मी का सेट बेक देने पर खदान समाप्त हो जाती है। **अतः समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि इस स्थिति में इस प्रकरण में पर्यावरणीय अभिस्वीकृति हेतु विचार किये जाने की अनुशंसा नहीं है।**

खनिज अधिकारी द्वारा अपने पत्र क्रमांक 704 दिनांक 10/10/2023 कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा, जिला शहडोल द्वारा कार्यपालन अधिकारी लोक निर्माण विभाग (सेतु निर्माण) संभाग शहडोल को उक्त ब्रिज के विषय में यह अनुरोध किया गया है कि कुनुक नदी पर निर्मित ब्रिज मेजर है अथवा माईनर एवं उपरोक्त पुल से 500 मीटर की दूरी छोड कर रेत खदान स्वीकृत किये जाने पर कोई आपत्ति तो नही है। **सक्षम प्राधिकारी/विषय विशेषज्ञ प्राधिकारी (ब्रिज कॉर्पोरेशन विभाग/जलसंसाधन विभाग/पी.डब्ल्यू.डी विभाग) से अभिमत प्राप्त कर सेक समिति के समक्ष प्रस्तुत करने पर प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु विचार किया जावेगा।**

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है, जिसे समिति की आज बैठक दिनांक 04/01/24 को प्रस्तुतीकरण में रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मेसर्स ओशियो इंवायरो मैनेजमेंट सॉल्यूशन्स (इं.) प्रा.लि., गाजियाबाद, उ. प्र. उपस्थित हुए। प्रस्तुतीकरण के दौरान उनके द्वारा अवगत कराया गया कि आवेदक के पत्र(**क्रमांक 4150 दिनांक 18/10/2023**) के परिपेक्ष्य में **पी.डब्ल्यू.डी विभाग का पत्र क्रमांक 4150 दिनांक 31/10/2023 के** माध्यम से अवगत कराया गया कि 500मी. दूरी छोडने पर रेत खनन से कोई आपत्ति नहीं है। समिति ने परीक्षण के दौरान पाया कि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में खदान के रेत उत्पादन क्षमता 72,000 घन मी./प्रति वर्ष दर्शायी गई है एवं परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत की मात्रा 52,680 घन मी./प्रति वर्ष की मांग की है, अतः **पी.डब्ल्यू.डी विभाग के अनुशंसा अनुसार** 500मी. दूरी छोडने पर 40,050 घन मी./प्रति वर्ष मात्रा की अनुशंसा की जाती है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तो एवं संलग्नक–बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तो के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत–**40,050** घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:–

1. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 03.63 लाख एवं रिक्करिंग राशि रू. 02.52 लाख प्रति वर्ष ।
2. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.20 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
अधोसंरचना विकास के लिए गवर्मेंट मॉडल हाईयर सेकंडरी विद्यालय भथिया के पालक शिक्षक संघ में अग्रलिखित धन राशि जमा कराई जाएगी	20,000

3. नदी क्षेत्र हेतु निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम निम्न मॉडल अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 3000 वृक्षों का वृक्षारोपण 7.5 मीटर की चौड़ाई से नदी के किनारें पर रोपण किया जावेगा :–

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)

1	नदी के किनारों पर नदी तट से 1 से 5 पंक्तियों में स्थल उपलब्धता अनुसार	खस, घास, करौंदा, करंज, अर्जुन एवं जामुन, बॉस, बेर, आम, शहतूत, लसोड़ा एवं स्थानीय प्रजातियॉ ।	700
2	ग्राम कोल्हुवा के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आँवला, मुनगा, अमरूद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातिया	2300

✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा।

✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।

✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे।

टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बॉस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

6. <u>Case No 10801/2023 Shri RAM SONI, OIC-MPSMCL</u> (कनिष्ठ प्रबंधक जिला कार्याल (य सिंगरौली, **<u>Amarpatan, ward-02 near by Shishu Shiksha Sadan School, Sidhi (M.P.) Prior Environment Clearance for Bharuhi Sand Deposit in an area of 4.80 ha. (7200 cum per year) (Khasra No. 396P), Village- Bharuhi, Tehsil- Bahri, District- Sidhi, (M.P.)</u>**

प्रस्तावित रेत खदान बी–2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जो गोपद नदी पर स्थित है, जिसमें आज दिनांक 04/01/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री राम सोनी, खनिज अधिकारी ए.के. राय एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मेसर्स ओशियो इंवायरो मैनेजमेंट सॉल्यूशन्स (इं.) प्रा.लि., गाजियाबाद, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी	Shri RAM SONI, OIC-MPSMCL (कनिष्ठ प्रबंधक) जिला कार्यालय सिंगरौली , Amarpatan, ward-02 near by Shishu Shiksha Sadan School, Sidhi (M.P.)

का नाम व पता		
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	396 (P) (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	4.80 hectare.
स्थल	Village- Bharuhi, Tehsil- Bahri, District- Sidhi, (M.P.)	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभगा, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ–19–2–2019–बारह–1पार्ट–6 दिनांक 31/05/2023 के द्वारा 10 वर्षो के आवंटित ।	
नया/क्षमता विस्तार	नया प्रोजेक्ट ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत–7,200 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत–7,200 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सीधी के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 982 दिनांक 09/11/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान संचालित/स्वीकृत नहं है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सीधी के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 982 दिनांक 09/11/23 अनुसार आवेदित क्षेत्र संजय टाईगर की ईको संवेदी जोन से 5.355 किलोमीटर दूरी पर है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सीधी के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 982 दिनांक 09/11/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत भरूही जिला सीधी के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक–16 दिनांक 02/10/2017 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।	
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के सरल क्रमांक–12 पर दर्ज है ।	

परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया कि पूर्व में इसी खदान को प्रकरण क्रमांक 6054/19 पत्र क्रमांक 814 दिनांक 23/05/2019 के माध्यम से रेत–86,400 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई थी, गूगल ईमेज के अनुसार खदान क्षेत्र पूर्व में प्रदत्त ई.सी. के शर्तो के कोईभी कार्य परिलक्षित नहीं होते। खदान क्षेत्र में कोई ब्रिज स्थित नहीं है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तो

एवं संलग्नक–बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तो के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत–7,200 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 04.11 लाख एवं रिक्करिंग राशि रू. 01.68 लाख प्रति वर्ष ।
2. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.70 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
अधोसंरचना विकास के लिए गवर्मेंट हाई स्कूल भरुही के पालक शिक्षक संघ में अग्रलिखित धन राशि जमा कराई जाएगी	70,000

3. नदी क्षेत्र हेतु निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम निम्न मॉडल अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 5760 वृक्षों का वृक्षारोपण 7.5 मीटर की चौड़ाई से नदी के किनारें पर रोपण किया जावेगा :–

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर नदी तट से 1 से 5 पंक्तियों में स्थल उपलब्धता अनुसार	खस, घास, करौंदा, करंज, अर्जुन एवं जामुन, बॉस, बेर, आम, शहतूत, लसोड़ा एवं स्थानीय प्रजातियॉ ।	300
2	ग्राम भरुही के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आँवला, मुनगा, अमरूद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातिया	5460

✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख–रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा।

✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा/उखाड़ा नहीं जायेगा ।

✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे।

टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में/ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/ अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बॉस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

7. <u>Case No 10804/2023 Shri Nikhil Chouhan, Lessee, 15, Village-Patra, Tehsil-Pathari, District-Vidisha (MP)-464337, Prior Environment Clearance for Patra Flagstone Quarry Deposit in an area of 2.00 ha. (4500 cum per year) (Khasra No. 177), Village-Patra, Tehsil- Pathari, District- Vidisha (M.P.)</u>

प्रस्तावित फ्लेग स्टोन खदान बी–2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए का है, जिसमें आज दिनांक 04/01/2024 को परियोजना प्रस्तावक निखिल चौहान एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री आशीष त्रिपाठी मेसर्स ए.एस.जी. इंवायरमेंटल सर्विसेस प्रा. लि., दिल्ली उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना का नाम व पता	Shri NIKHIL CHOUHAN, Lessee, 15. Vill-Patra, tehsil- Pathari, District Vidisha (M.P)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	177 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	2.00 hectare.
स्थल	Village- Patra, Tehsil- Pathari, District- Vidisha (M.P.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला विदिशा के पत्र क्रमांक 1605 दिनांक 21/06/2023 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	प्रस्तावित खनिज फ्लैग स्टोन का है, अतः ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा फ्लैग स्टोन–4,500 घनमीटर/ वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार फ्लैग स्टोन–4,500 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला विदिशा के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1713 दिनांक 26/09/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला विदिशा के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1713 दिनांक 26/09/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला विदिशा के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1713 दिनांक 26/09/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/	

	तालाब / बांध / स्टॉप डैम / नहर / ग्रामीण कच्चा / पक्का रास्ता / नाला नहीं है ।
ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत कोकलखेड़ी जिला विदिशा के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक–1 दिनांक 26 / 12 / 2022 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	खदान क्षेत्र में कुल 08 पेड है जिनमें से कुल 04 पेड काटे जाना प्रस्तावित है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया कि उत्तर दिशा में जो रूट स्टाक है उसे गैर खनन क्षेत्र के रूप में छोडते हुये संरक्षित रखा जावेगा।
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा– कच्चा रोड लगभग 200 m आबादी लगभग 300m
	उत्तर पूर्व दिशा– पक्का रोड लगभग 440 m
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला विदिशा के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1713 दिनांक 26 / 09 / 2023 अनुसार उक्त उत्खनिपट्टा को आगामी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित किया जावेगा । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29 / 07 / 22 (प्रकरण में 9261 / 2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04 / 08 / 22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता फ्लेग स्टोन–4,500 घनमीटर / वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 08.02 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 02.22 लाख प्रति वर्ष ।
3. उत्तर दिशा में जो रूट स्टाक है एवं जो 04 पेड जो काटे जाने प्रस्तावित नहीं है, उसे गैर खनन क्षेत्र के रूप में छोडते सुरक्षित रखें।
4. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.80 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	**राशि (रु. में)**
ग्राम **पात्रा** के शासकीय विद्यालय विकास हेतु पालक शिक्षा संघ में उल्लेखित राशि जमा	80,000

करी जावेगी	

5. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 2440 .वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	उत्खनिपट्टे के प्रस्तावित बैरियर जोन सीमा में (500 m)	खमेर, करंज, सप्तपर्णी, पुत्रंजीवा, नीम , चिरोल, आदि।	300
2	खदान क्षेत्र के परिवहन मार्ग के दोनों ओर 350 मीटर तक	कदम्ब,, करंज, सप्तपर्णी, पुत्रंजीवा, नीम आदि।	340
3	ग्राम पात्रा में ग्राम वासियो को फलदार पौधे वितरण हेतु	सीताफल, आम , संतरा , पपीता , आम , हाइब्रिड मूंगा, कटहल आदि।	1800

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं खनन अवधि तक उन पौधों का रख–रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना। परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गॉव का नाम, लाभांवित व्यक्ति/कृषक का नाम, मोबाईल नम्बर, खसरा नम्बर एवं प्रजाति का विवरण तथा कितने पौधे वितरित किये गये की संख्या देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।

8. <u>Case No 9377/2022 Shri Balram Jat, Owner, 101-1, Panched, Dist. Ratlam, MP - 457222, Prior Environment Clearance for Murrum Quarry in an area of 4.0 ha. (20000 Cum per annum) (Khasra No. 273/1), Vilage.- Naogavakalan, Tehsil Ratlam, District- Ratlam (M.P.)</u>

प्रस्तावित मुरम खदान बी–1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए ईआईए का है, जिसमें आज दिनांक 04/01/2024 को परियोजना प्रस्तावक **<u>Shri Balram Jat, Online</u>** एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजरात उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना का नाम व पता	Shri Balram Jat, Owner, House No. - 101-1, Panched, Ratlam Madhya Pradesh, 457222

खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	273/1(सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	4.00 hectare.
स्थल	Vilage.- Naogavakalan, Tehsil Ratlam, District- Ratlam (M.P.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के पत्र क्रमांक 4508 दिनांक 04/08/23 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है ।	
टॉर	सेक की 611वीं बैठक दिनांक 14/12/22 को अनुशंसित, सिया के पत्र क्रमांक 2485 दिनांक 05/01/23 के द्वारा मुरम–20,000 घनमीटर/वर्ष के लिए टॉर जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा मुरम–20,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार मुरम–20,000 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1679 दिनांक 16/09/22 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 08.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1679 दिनांक 16/09/22 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1679 दिनांक 16/09/22 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत नौगांवाकलां जिला रतलाम के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक–2 दिनांक 28/09/20 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य का प्रस्ताव पारित ।	
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Existed-No	
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा– कच्चा रोड लगभग 78 मी. पर	
	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया कि पूर्व दिशा में खदान क्षेत्र से	

	लगभग 35मी. दूरी पर छोटी तलैयी एवं धार्मिक क्षेत्र होने से 100मी. तक का क्षेत्र गैर खनन क्षेत्र के रूप में छोडा गया है एवं इसे सरफेस मेप में प्रस्तुत किया गया हैं।
	पश्चिम दिशा– शेड्स लगभग 200 मी. पर
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1679 दिनांक 16/09/22 अनुसार उक्त खदान को आगामी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल कर लिया जावेगा । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।
जन सुनवाई	समिति द्वारा प्रकरण में प्राप्त जनसुनवाई के कार्यवाही विवरण, आमजन के सुझाव एवं प्राप्त आपत्तियों पर विस्तृत चर्चा की गई एवं आवश्यकतानुसार परियोजना में प्रस्तावित सामाजिक/पर्यावरणीय कार्यो की समीक्षा की गई।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता मुरम–20,000 घनमीटर/वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 14.68 लाख एवं रिक्करिंग राशि रू. 01.80 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.50 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	**राशि (रु. में)**
• नौगांवाकला के गाँववासियो के लिए रोगीकल्याणसमिति के कल्याण के लिए एवंसरंचनाविकास के लिए ग्रामपंचायत के खातेमेंभूप्रवेशहोने के 6 माह के अंदरट्रांसफरकरदियाजावेगा	30,000/-
• ग्राम नौगांवाकला में स्थित माध्यमिक शाला में पालक शिक्षा संघ में भूप्रवेश होने के 6 माह के अंदरट्रांसफरकरदियाजावेगा	20,000/-

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 4800 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	उत्खनिपट्टे के बैरियरजोन व गैर खनन क्षेत्र मेंके अंतर्गत	स्थानीय पौधों की प्रजातियांजैसेः—कस्टार, खमेर, जंगल जलेबी, चिरोलआवला, नीम, सीताफल, करंजआदि।	960
2	परिवहन मार्ग के किनारे वृक्षारोपण	स्थानीय पौधों की प्रजातियांजैसेः—नीम, कदम्ब, खमेर, सिस्सू, पीपल, करंजचिरोलआदि।	200
3	खनन क्षेत्र के नजदीक स्थित मंदिर परिसर में पौधारोपण	स्थानीय पौधों की प्रजातियांजैसेः—पुत्रंजीवा, मोलश्रीसिस्सू, कदम्ब, बरगद, पीपल, कचनार, नीम, आदि	140
4	पास के गांवमेंपौधेकावितरण	स्थानीय पौधों की प्रजातियांजैसेः—आमला, सीताफल, आम, अमरुद, अनार, कटहल , जामुन, हाइब्रिडमुनगाआदि।	3500

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें खनन अवधि तक उन पौधों का रख—रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गॉव का नाम, लाभांवित व्यक्ति/कृषक का नाम, मोबाईल नम्बर, खसरा नम्बर एवं प्रजाति का विवरण तथा कितने पौधे वितरित किये गये की संख्या देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।

9. <u>Case No 10803/2023 Shri Pankaj Jain, Owner, Makan-930, Ward Sadar Bazar, Suwasara, District-Mandsaur (MP)-458888, Prior Environment Clearance for Antraliya Stone (Gitty), M-Sand & Murrum Quarry Deposit in an area of 1.00 ha. (Stone-5940, M-Sand-15190 cum per year) (Khasra No. 80), Village-Antraliya, Tehsil-Suwasara, District-Mandsaur (MP)</u>

प्रस्तावित **<u>Stone</u>** खदान बी—2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए का है, जिसमें आज दिनांक 04/01/2024 को परियोजना प्रस्तावक **<u>Shri Pankaj Jain, Online</u>** एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री आशीष त्रिपाठी मेसर्स ए.एस.जी. इंवायरमेंटल सर्विसेस प्रा. लि., दिल्ली उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना का नाम व पता	Shri PANKAJ JAIN, owner, MAKAN 930, WARD SADAR BAJAR, SUWASARA, SUWASRA, MANDSAUR, MADHYA PRADESH, 458888.	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	80 (सरकारी —नॉन फॉरेस्ट लेंड)	1.00 hectare.
स्थल	ग्राम ANTRALIYA तसहील Suwasara जिला Mandsaur (म.प्र.)	

709वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 04 जनवरी 2024

लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मंदसौर के पत्र क्रमांक 616 दिनांक 11/04/2023 के द्वारा स्वीकृत ।
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेकट।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर–5,940 घनमीटर/वर्ष एवं एम सेंड–15,190 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर–5,940 घनमीटर/वर्ष एवं एम सेंड–15,190 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मंदसौर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1767 दिनांक 27/09/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदानें संचालित/ स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 03.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मंदसौर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1767 दिनांक 27/09/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मंदसौर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1767 दिनांक 27/09/2023 अनुसार 50 मीटर पर नाला एवं 400 मीटर पर बसाहट स्थित है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत लखवा जिला मंदसौर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक–9 दिनांक 26/11/2022 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Existed - 12 Tree Felling - 05 Additional tree to be planted - 50
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा– वेयर हाउस शेड लगभग 155 मी.
	पूर्व दिशा– प्राकृतिक नाल लगभग 170 मी.
	पश्चिम दिशा– निर्माणाधीन रोड लगभग 280 मी. एवं आबदी लगभग 340 मी.
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मंदसौर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1767 दिनांक 27/09/2023 अनुसार उक्त उत्खनिपट्टा को अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित कर लिया जावेगा। समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022–जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।

प्रस्तुतीकरण उपरांत समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये :

- एम.सेड प्लॉट एवं क्रशर की प्रस्तावित लोकेशन को दर्शात हुये पुर्नरक्षित सरफेस मेप प्रस्तुत करें।
- एम.सेड प्लॉट एवं क्रशर से होने वाले वायु /जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थायें एवं सिल्ट मैनेजमेन्ट व जल पुर्नचक्रण के संबंध में प्रस्तावित कार्य योजना प्रस्तुत करते हुये ईएमपी तथा बजट का प्रावधान दें।

10. <u>Case No 10802/2023 Shri Siddharth Malviya, Owner, Ward No. 2, Railway Gate ke Pass, Banapura, Tehsil-Seoni-Malwa, District- NARMDAPURAM (M.P.) 461223, Prior Environment Clearance for Gondi Kharar Murrum Quarry in an area of 1.00 ha. (13300 cum per year) (Khasra No. 93), Village - Gondi Kharar, Tehsil - Dolariya, District Narmadapuram (M.P.)</u>

प्रकरण आज सेक की 709वीं बैठक दिनांक 04/01/24 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक से प्रस्तुतीकरण हेतु अनुरोध प्राप्त होने के पश्चात प्रकरण की समीक्षा हेतु विचार किया जा सकेगा ।

11. <u>Case No 9643/2023 Smt. Shakuntala Bhalse, LESSEE, H. No. 155-156, Gomti Nagar, District-Indore (MP)-452006, Prior Environment Clearance for Rawad Stone Quarry in an area of 02.50 ha. (Stone - 25000 Cum per annum and Over warden – 11,842) (Khasra No. 33/1/4/3/1), Village- Rawad, Tehsil-Depalpur, District-Indore (MP)</u>

प्रस्तावित पत्थर खदान बी–1 पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए ईआईए का है, जिसमें आज दिनांक 04/01/2024 को परियोजना प्रस्तावक **<u>Smt. Shakuntala Bhalse,Online</u>** एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजरात उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना का नाम व पता	Shri SHAKUNTALA BHALSE, LESSEE, H.no 155-156, Gomti Nagar, Indore (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	33/1/4/3/1 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	2.50 hectare.
स्थल	Village.-Rawad, Tehsil- Depalpur, District- Indore (M.P.)	

709वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 04 जनवरी 2024

लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला इंदौर के पत्र क्रमांक 1898 दिनांक 19/10/22 के द्वारा स्वीकृत ।
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।
टॉर	सेक की 624वीं बैठक दिनांक 26/02/23 को अनुशंसित, सिया के पत्र क्रमांक 2229 दिनांक 24/03/23 के द्वारा पत्थर–25,000 घनमीटर/वर्ष एवं ओव्हरवर्डन–11,842 घनमीटर/वर्ष के लिए टॉर जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर–25,000 घनमीटर/वर्ष एवं ओव्हरवर्डन–11,842 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर–25,000 घनमीटर/वर्ष एवं ओव्हरवर्डन–11,842 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला इंदौर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 52 दिनांक 12/01/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 03 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 08.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला इंदौर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 52 दिनांक 12/01/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला इंदौर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 52 दिनांक 12/01/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत रावद जिला इंदौर के पत्र दिनांक 04/01/22 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य का सशर्त अनापत्ति प्रदान की गई है ।
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खदान क्षेत्र में 02 पेड है 02 पेड काटे जायेगें इसके एवज में 20 पेड लगाये जायेगें। Tree Felling - Additional tree to be planted -

गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा– पक्का रोड लगभग 180 मी. 20 मी. का सेटबेक प्रस्तावित है एवं हॉलेज रोड 15 मी. की दूरी पर स्थित है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला इंदौर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 52 दिनांक 12/01/23 अनुसार उक्त खदान को डी.एस.आर. में सम्मिलित किया जावेगा । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।
जन सुनवाई	समिति द्वारा प्रकरण में प्राप्त जनसुनवाई के कार्यवाही विवरण, आमजन के सुझाव एवं प्राप्त आपत्तियों पर विस्तृत चर्चा की गई एवं आवश्यकतानुसार परियोजना में प्रस्तावित सामाजिक/पर्यावरणीय कार्यो की समीक्षा की गई।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा कलस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लांन प्रस्तुत किया गया। उपरोक्त कलस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत उल्लेखित गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु प्रक्रिया सुनिश्चित की जानी होगी। इस संबंध में समिति का सुझाव है कि उपरोक्त 03 खदानों के परियोजना प्रस्तावकों द्वारा उक्त राशि डीएमएफ खातें में जमा की जावेगी । खनन् क्षेत्र के क्षेत्रफल व उत्पादन के आधार पर अनुपातिक राशि का निर्धारण जिलाध्यक्ष के स्तर पर किया जा सकता है । जिला प्रशासन की निगरानी में खनिज विभाग के समन्वय से जिला स्तरीय अन्य संबंधित विभाग (जैसे वन विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी, लोक निर्माण विभाग तथा ग्राम पंचायत आदि) के माध्यम से कलस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत प्रस्तावित गतिविधियों के क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जावें। माईनिंग अधिकारी, परियोजना प्रस्तावक के माध्यम से प्रत्येक 06 माह में प्रस्तावित कलस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेन्ट प्लान की कम्पलाईन्स रिपोर्ट तथा राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र सिया के समक्ष प्रस्तुत करेगें।

प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि (गूगल एमेज अनुसार) इस क्षेत्र से लगे हुये माइनिंग क्षेत्र में पर्यावरणीय अभिस्वीकृति प्राप्त खदानों द्वारा ई.सी. की शर्तो का पालन होना परिलक्षित नहीं हो रहा है। अतः पर्यावरण स्वीकृति में शर्तो के पालन के विषय पर जिला खनन् कार्यालय के माध्यम से इनकी शर्तो के सत्यापन की आवश्यकता प्रतीत होती है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर–25,000 घनमीटर/वर्ष एवं ओव्हरवर्डन–11,842 घनमीटर/वर्ष है ।

2. परियोजना प्रस्तावक प्रत्येक 06 माह में प्रस्तावित कलस्टर **एन्वायरमेन्ट मैनेजमेन्ट प्लान की कम्पलाईन्स रिपोर्ट तथा राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र** माईनिंग अधिकारी से प्राप्त कर **सिया के समक्ष प्रस्तुत करेगें।**
3. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 13.51 लाख एवं रिक्करिंग राशि रू. 2.57 लाख प्रति वर्ष ।
4. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 01.40 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	**राशि (रु. में)**
ग्राम रावद के गाँववासियो के कल्याण के लिए रोगी कल्याण समिति एवं आंगन वाड़ी कल्याण हेतु अधोसंरचना विकास योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत के खाते में भूप्रवेश होने के ६ माह में अंदर उल्लेखित राशि प्रदान की जावेगी	80,000/-
ग्रामरावदमेंस्थितमाध्यमिक शासकीय शालामें एक कंप्यूटर, एक कंप्यूटरटेबलतथा एक प्रिंटरप्रदानकियाजावेगा	40,000/-
ग्रामरावदमेंपशुस्वास्थ के लिए चिकित्साअधिकारी के परामर्शसेटीकाकरण के लिए ग्रामपंचायत के खातेमेंभूप्रवेशहोने के ६ माहमेंअंदरउल्लेखितराशिप्रदान की जावेगी	20,000/-

5. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 3020 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	**वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान**	**पौधों की प्रजातियॉ**	**मात्रा (संख्या में)**
1	उत्खनिपट्टे के बैरियरजोन व गैर खनन क्षेत्र मेंके अंतर्गत	स्थानीय पौधों की प्रजातियांजैसेः–स्थानीय पौधों की प्रजातियांजैसेः–नीम , खमेर , कालासिरिस, सिस्सू ,जंगल जलेबी , करंज, सीताफल, चिरोल , सफेदसिरिस, पीपलआदि	780
2	परिवहनमार्ग के किनारे वृक्षारोपण	स्थानीय पौधों की प्रजातियांजैसेः–करंज, पीपल, बरगद, पुतरंजीवा, महुआ, कदम्बइत्यादि।	230
3	ग्रामरंगवासामेंस्थितस्कूलमें वृक्षारोपण	स्थानीय पौधों की प्रजातियांजैसेः–पुत्रंजीवा, मोलश्री, सिस्सू, कदम्ब, बरगद, पीपल, कचनार, नीम, चिरोलआदि	140
4	ग्राममेंस्थित शमशान घाटमें वृक्षारोपण	स्थानीय पौधों की प्रजातियांजैसेः–पुत्रंजीवा, कचनार, नीम, चिरोलआदि	20
5	पास के गांवमेंपौधेकावितरण	स्थानीय पौधों की प्रजातियांजैसेः–आमला,	1890

		सीताफल, आम, अमरुद, अनार, कटहल , जामुन, हाइब्रिडमुनगाआदि।	
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं 03 वर्ष तक उन पौधों का रख–रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गॉव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।			

12. <u>Case No 9677/2023 Shri Rahul Malaiya, Lessee, R/o Rajakhedi Chouraha, Makroniya, District-Sagar (MP)-470004, Prior Environment Clearance for Guda Stone & M-Sand Quarry in an area of 1.50 ha. (Stone-6077 and M-Sand-4051 Cum per annum) (Khasra No. 285/1), Village-Guda, Tehsil-Sagar, District-Sagar (MP)</u>

प्रस्तावित पत्थर खदान बी–1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए का है, जिसमें आज दिनांक 04/01/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री राहुल मालवीय एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजराज उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना का नाम व पता	Shri RAHUL MALAIYA, Lessee, R/o- Rajakhedi chouraha, Makroniya, Sagar District- Sagar (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	285/1 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	1.5 hectare.
स्थल	ग्राम Guda तसहील Sagar जिला Sagar (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, म.प्र. भोपाल का पत्र क्रमांक 460 दिनांक 10/01/23 द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है ।	
टॉर	सेक की 630वीं बैठक दिनांक 17/03/23 को अनुशंसित, सिया के पत्र क्रमांक 137 दिनांक 18/04/23 के द्वारा पत्थर–6,077 घनमीटर/वर्ष एवं एम सेंड–4,051 घनमीटर/वर्ष के लिए टॉर जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर–6,077 घनमीटर/वर्ष एवं एम सेंड–4,051 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर–6,077 घनमीटर/वर्ष एवं एम सेंड–4,051	

	घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 123 दिनांक 25/01/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 08 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 10.65 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 123 दिनांक 25/01/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 123 दिनांक 25/01/23 अनुसार 250 मीटर की दूरी पर फोरलाईन, 200 मीटर की दूरी पर नाला, 300 मीटर की दूरी पर कच्चा नाला स्थित है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत गुडा जिला सागर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक–14 दिनांक 02/10/21 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Existed -No
	पश्चिम दिशा में नेशनल हाईवें लगभग 105 मी. परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनन कार्य में ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर के पत्र क्रमांक 122 दिनांक 25/01/23 अनुसार उक्त उत्खनिपट्टा को आगामी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित कर लिया जावेगा । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।
जन सुनवाई	समिति द्वारा प्रकरण में प्राप्त जनसुनवाई के कार्यवाही विवरण, आमजन के सुझाव एवं प्राप्त आपत्तियों पर विस्तृत चर्चा की गई एवं आवश्यकतानुसार परियोजना में प्रस्तावित सामाजिक/पर्यावरणीय कार्यो की समीक्षा की गई।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि क्रशर/एमसेंड प्लान्ट लीज क्षेत्र के बाहर स्थित है।

प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि (गूगल एमेज अनुसार) इस क्षेत्र से लगे हुये माइनिंग क्षेत्र में पर्यावरणीय अभिस्वीकृति प्राप्त खदानों द्वारा ई.सी. की शर्तो का पालन होना परिलक्षित नहीं हो रहा है।

अतः पर्यावरण स्वीकृति में शर्तो के पालन के विषय पर जिला खनन् कार्यालय के माध्यम से इनकी शर्तो के सत्यापन की आवश्यकता प्रतीत होती है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर–6,077 घनमीटर/वर्ष एवं एम सेंड–4,051 घनमीटर/वर्ष ।
2. परियोजना प्रस्तावक के अनुसार लीज क्षेत्र में क्रेशर प्लान्ट/ एम.सेड प्लांट प्रस्तावित नही है, अतः लीज क्षेत्र में क्रेशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट स्थापित करने की अनुमति नही दी जा सकेगी।
3. खनन क्षेत्र से बाहर प्रस्तावित माईन आधारित क्रेशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
4. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित क्रेशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट में स्लरी प्रबंधन तथा वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
5. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 10.09 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 01.00 लाख प्रति वर्ष ।
6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 01.00 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	**राशि (रु. में)**
• ग्राम गुडा में पशु स्वास्थ के लिए चिकित्सा अधिकारी के परामर्श से टीकाकरण के लिए ग्राम पंचायत के खाते में 6 माह के अंदर ट्रांसफर कर दिया जावेगा	30,000/
• गुडा के गाँववासियो के लिए रोगी कल्याण समिति के कल्याण के लिए एवं ग्राम गुडा में सरंचना विकास के लिए ग्राम पंचायत के खाते मेंभ ूप्रवेश होने के 6 माह में अंदर उल्लेखित राशि प्रदान की जावेगी	30,000/
• ग्राम गुडा में स्थित माध्यमिक शाला मे पालक शिक्षा संघ के लिए ग्रामपंचायत के खातेमेंभूप्रवेशहोने के 6 माहमेंअंदरउल्लेखितराशिप्रदान की जावेगी	40,000/-

7. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम .1800 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	**वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान**	**पौधों की प्रजातियॉ**	**मात्रा (संख्या में)**
1	उत्खनिपट्टे के बैरियरजोनके अंतर्गत	कालासिरिस, सफेदसिरिस, खमेर, नीम, पीपल, सिस्सू, जंगल जलेबी, करंज ,	710

		सीताफल, चिरोलआदि।	
2	परिवहनमार्ग के किनारे वृक्षारोपण	स्थानीय पौधों की प्रजातियांजैसेः–नीम, कदम्ब, खमेर, सिस्सू, पीपल, करंजआदि।	100
	बमोरेग्राममेंस्थितविद्यालय परिसरमें वृक्षारोपण	पुत्रंजीवा, मोलश्रीसिस्सू, कदम्ब, बरगद, पीपल, कचनार, नीम, आदि	40
	पास के गांवमेंपौधेकावितरण	आमला, सीताफल, आम, अमरुद, अनार, कटहल , निम्बू, जामुन, हाइब्रिडमुनगाआदि।	950
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें खनन अवधि तक उन पौधों का रख–रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गॉव का नाम, लाभांवित व्यक्ति/कृषक का नाम, मोबाईल नम्बर, खसरा नम्बर एवं प्रजाति का विवरण तथा कितने पौधे वितरित किये गये की संख्या देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।			

13. <u>Case No 10812/2023 Shri Ved Sharma, Lessee, R/o Gautam Bihar Colony, District-Shivpuri (MP)-473551, Prior Environment Clearance for Rajapur Gudar Stone Quarry in an area of 4.00 ha. (Gitti-25000, M-Sand-75000 cum per year) (Khasra No. 1041), Village-Gudar, Tehsil-Khaniyadhana, District-Shivpuri (MP)</u>

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 04/01/2024 को परियोजना प्रस्तावक Shri Ved Sharma, Lessee एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री रामराघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आई.एन.सी., वडोदरा (गुजरात) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी /संस्थान का नाम व पता	Shri Ved Sharma, Lessee, R/o Gautam Bihar Colony, District-Shivpuri (MP)-473551, Prior Environment Clearance for Rajapur Gudar Stone Quarry in an area of 4.00 ha. (Gitti-25000, M-Sand-75000 cum per year) (Khasra No. - 1041), Village-Gudar, Tehsil-Khaniyadhana, District-Shivpuri (MP) [450319]	
परियोजना का खसरा नं./लीज क्षेत्रफल	खसरा नं.– 1041,	एरिया– 4.00 ha., शासकीय भूमि
परियोजना स्थल	ग्राम– गुदार, तहसील – कनियाढ़ाना, जिला– शिवपुरी (म.प्र.).	
सैंधातिक सहमति	पत्र क0. 1195 दिनांक 06/10/2023.	
परियोजना की श्रेणी	बी–2,	
खनन् कार्य ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	• Controlled blasting techniques, Muffle Blasting and use of sand bags. (As per Parivesh Portal up-loaded information).	
डिया द्वारा जारी ई.सी. का विवरण	**लागू नही।**	

(यदि लागू हो)	
उत्पादन क्षमता	Gitti-25000 Cum per year, M-Sand-75000 Cum per year.
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित /स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण।	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शिवपुरी के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1247 दिनांक 25/10/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें स्वीकृत नही है, जिनको मिलाकर कुल रकबा **4.00** हे. होता है, अतः प्रकरण बी–1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शिवपुरी के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1247 दिनांक 25/10/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शिवपुरी के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1247 दिनांक 25/10/2023 अनुसार नहर–300 मी.,पक्का रास्ता – 200 मी. तथा सूखा नाला – 50 मी. की दूरी पर स्थित है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/ नगर परिषद्	ग्राम पंचायत् – हर्षपुरा (राजापुर गूडर), जिला – शिवपुरी का ठहराव प्रस्ताव क्र0. 03 दिनांक 17/08/2023 द्वारा अनापत्ति पत्र जारी किया गया है।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Existed_02 Tree Felling - No
प्रस्तावित खदान की गूगल इमेज अनुसार स्थिति (यदि सेटबैक आवश्यक हो)	लीज क्षेत्र खुदा हुआ है जिसे सरफेस मेप में दर्शाया गया है। उत्तर पश्चिम दिशा– . केनाल लगभग 193 मी. परियोजना प्रसतावक द्वारा 07 मी. का सेटबेक प्रस्तावित किया गया है।
	दक्षिण दिशा– कच्चा रोड लगभग 45 मी. परियोजना प्रसतावक द्वारा 05 मी. का सेटबेक प्रस्तावित किया गया है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शिवपुरी द्वारा अपने पत्र क्रमांक 1248 दिनांक 25/10/2023 द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त खदान का नाम नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट मे आवश्यक रूप से सम्मिलित किया जावेगा।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि लीज क्षेत्र के अंदर उत्तर पश्चिम दिशा में क्रशर/एमसेंड प्लान्ट स्थित है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर–25000 घनमीटर/वर्ष एवं एम सेंड–75000 घनमीटर/वर्ष ।

2. खनन क्षेत्र में प्रस्तावित माईन आधारित क्रेशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
3. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित क्रेशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट में स्लरी प्रबंधन तथा वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
4. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 14.85 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 03.09 लाख प्रति वर्ष ।
5. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 02.00 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	**राशि (रु. में)**
रोगी कल्याण विकास मंडल राजपुर गुडार में ग्राम के प्राथमिक स्वास्थ केंद्र एवं स्वास्थ व्यवस्थाओं हेतु उल्लेखित राशि जमा की जावेगी	2,00,000/-

6. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 4800 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

क्रं.	**वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान**	**पौधों की प्रजातियॉ**	**मात्रा (संख्या में)**
1	**बैरियर जोन के अंतर्गत (खदान पट्टा सीमा 820 मीटर परिधि तक)**	**आम, आंवला, मुनगा हाइब्रिड, सीताफल, गुआवा, कटहल, अचार आदि**	820
2	**खदान क्षेत्र के परिवहन मार्ग के दोनों ओर 315 मीटर तक**	**स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसः– करंज, पीपल, बरगद, पुतरंजीवा, कदम्ब इत्यादि।**	230
3	**ग्राम एवं समीप स्थित ग्राम के ग्रामीणों में पौधो का वितरण**	**संतरा, आमला, नींबू, सीताफल, आम, अनार, मुनगा , कटहल आदि।**	3650
4	**ग्राम के शासकीय माध्यमिक विद्यालय में**	**कदम्ब, करंज, नीम, सिस्सू, पीपल, पाकर. पुत्रंजीवा, आदि।**	100

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें खनन अवधि तक उन पौधों का रख–रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गॉव का नाम, लाभांवित व्यक्ति/कृषक का नाम, मोबाईल नम्बर, खसरा नम्बर एवं प्रजाति का विवरण तथा कितने पौधे वितरित किये गये की संख्या देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।

14. <u>Case No 703/2012 M/s. Opal Developers Shalimar house, Malviya Nagar, Raj Bhawan Road-Bhopal-M.P. Residential project at Plot No/Survey No/Khasra No : 429, 430/1, 400/2, 401/2, 431/1/2, 431/1/3, Bawadiakalan, Teh-Huzur, Distt-Bhopal. Modification in EC. Cat. 8(a) Building Construction Project. Extension of validity of EC.</u>

The case has been submitted for for extension of validity of the existing EC.

PP and their consultant presented the sensitive features of the project along with the compliance of EC conditions. Further scruitny of the matter reveals that:

- The EC was granted to this project by MP SEIAA vide letter No. 1079/SEIAA/2013 dated 25/06/2013 and subsequently the Ammended EC was issued vide letter No. 1917/SEIAA/2018 dated 09/03/2018 without any change in the validity or any other condition of the original EC dated 25.06.2013.
- As per MoEF&CC O.M. dated 12.04.2022 the prescribed validity of prior EC is 10 years from the date of issue. Further, the validity of EC can be extended / modified if application for the same is made before expiry of the validity of current EC.
- In present case the EC was granted on 25.06.2013 thus the validity of current EC is 24/06/2023. The application for amendment was submitted to MP SEIAA (through Parivesh Portal) by the PP on 25.07.2023 i.e. one month after the validity expiry.
- In view of above facts it was observed by the committee that the application for amendment of EC has been submitted after the expiry of the validity period of current EC.
- However,it was submitted by the PP that work under the project has already been initiated after obtaining requisite CTE/CTO from MPPCB. Total construction completes in the project is 25750.577 Sqm. against the targeted builtup area 50025.75 Sqm.
- It was submitted that the periodic compliance report of EC conditions have been submitted to MoEF&CC as per provisions.

In light of above facts committee is of the view that considering a grace period of 01 month the case may be considered for extension of the validity for one year.

15. <u>Case No 10810/2023 Shri Sushant Lambhate, Suprintendent Authorized Signatory, M/s OMAXE LIMITED, 201, FF-58, Orbit Mall, A.B. Road District-Indore (MP)-452001, Prior Environment Clearance for Construction of Integrated Township-</u>

"Omaxe City-I (Mayakhedi)" in an area of 36.74 ha. (Net area-340949 m2, built-up area-49520 m2)) (Khasra No. 208/1/2), Village-Mayakheri, Tehsil-Indore, District-Indore (MP) Cat. 8 (a) Violation-ToR.

This is case of Prior Environment Clearance for Construction of Construction of Integrated Township- "Omaxe City-I (Mayakhedi)" in an area of 36.74 ha. (Net area-340949 m2, built-up area-49520 m2)) (Khasra No. 208/1/2), Village-Mayakheri, Tehsil-Indore, District-Indore (MP) Cat. 8 (a). The application was forwarded by SEIAA to SEAC for scoping so as to determine Violation- TOR- to carry out EIA and prepare EMP for the project.

The salient features which were submitted by PP on Parivesh Portal are given below:-

SN	Information Required	Details
1.	Project	SIA/MP/INFRA2/432345/2023 **ToR. (Violation)**
2.	Project Name	**Shri Sushant Lambhate, Suprintendent Authorized Signatory, M/s OMAXE LIMITED, 201, FF-58, Orbit Mall, A.B. Road District-Indore (MP)-452001,**
3.	Total Plot Area	*Prior Environment Clearance for Construction of Integrated Township- "Omaxe City-I (Mayakhedi)" in an area of 36.74 ha. (Net area-340949 m2, built-up area - 49520 m2)) (Khasra No. 208/1/2), Village-Mayakheri, Tehsil-Indore, District-Indore (MP)* [432345] **Total Build-up Area - 49520 sqm.** ***Cat. - 8(a). Building and Construction projects.***
4.	Form 1A & Conceptual Plan	Submitted.
5.	EC Status	New.
6.	ToR Proposed	Submitted ToR (Violation).
7.	Violation	Year – 2008.
8.	Declaration reg. construction	Submitted affidavit.
9.	Litigation status	No Litigation Pending.
10.	Description of Project	The total plot area is 360740 m2 (36.740 hac.), Net planning area is 340949 m2 (34.0949 hac.) The built-up area of the project is 49520 m2.
11.	Land Area Breakup	• Total Plot Area - 360740.00 m2 • Area under Road widening – 8791.00 m2 • Net Plot Area – 340949.00 m2 • Total Built up Area – 49520 m2 • Greenbelt area – 34102 m2 • Parking Area-11020 Sq.m
12.	Latitude / Longitude	• Latitude - 22°37'48.27"N

		• Longitude - 75°50'46.51"E
13.	CGWA Permission	Application Code: 96871. 564.774 m3/day.
14.	Extra treaed Water NOC	PP Apply letter dated 15 /06/2023.
15.	T&CP Permission	Letter No. 4295 dated 27/05/2006.
16.	EMP/ Env. Con	Shri Pradeep Chandan & Shri Shubham Dubey, M/s ENVISOLVE LLP, Indore (M.P.),

The case was presented by the PP and their Environmental consultant Shri Pradeep Chandan & Shri Shubham Dubey, M/s ENVISOLVE LLP, Indore (M.P.).

From presentation and various details submitted by the PP, it was observed by the committee that the Project Proponent has completed the construction of project without obtaining Environment Clearance, thus violating the provisions of EIA Notification.

Accordingly, the Committee decided to recommend Terms of Reference (ToR) for carrying out EIA and preparation of EMP incorporating the assessment of ecological damage, remediation plan and natural & community resource augmentation plan, as per the provisions of the recent GoI, MoEF & CC, OM F. No. 22-21/2020-IA.III dated 07.07.2021 & Notification S. O. 1030 (E), dated 8th March, 2018. The assessment of ecological damage, remediation plan and natural & community resource augmentation plan shall be submitted as an independent chapter in the EIA report by the accredited consultant and the collection and analysis of data for assessment of ecological damage, preparation of remediation plan and natural and community resource augmentation plan shall be done by an environmental laboratory accredited by the National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories.

Further, this being a violation case for which Ministry of Environment Forests & Climate Change vide its OM dated 28/01/2022, has reinstated the Standard Operating Process (SOP) dated 15/07/2021 as per the order dated 09/12/2021 of Hon'ble Supreme Court of India to deal with the violation cases. Penalty provisions as per para 12 (i) of the notification will be applicable for which credible proof shall be submitted by PP.

The additional TOR along with standard TOR prescribed by the MoEF&CC for conducting the EIA along with following additional TOR's and as per Annexure-D:-

1. Submit actual construction area/figures with verifiable proof and drone video/photography and same shall be overlaid over the T&CP approval plan/conceptual plan.

2. A natural drain is passing from the eastern side of the allotted area for which protection plan shall be submitted considering HFL.
3. It shall also be reflected in the EIA report that how the water requirement was fulfilled during this construction
4. Status report of constriction took place so far, possession given to how many families etc.
5. Details such as area provided for parking, ETP, STP, etc shall also be discussed in the EIA report with all components.
6. Furnish details of CO_2 emission & quantification from different sources as DG sets and their management plan w.r.t. carbon foot print shall be studied and discussed in EIA report.
7. Provision of additional exit gate in the proposed project, at the time of emergency.
8. Project description, its importance and the benefits.
9. Under energy conservation plan detail-out solar light erection panels.
10. Project site detail (location, topo-sheet of the study area of 10 Km, coordinates, Google map, layout map, land use, geological features and geo-hydrological status of the study area, drainage.
11. Land use as per the approved Master Plan of the area, permission/approvals required from the land owning agencies, Development Authorities, Local Body, Water Supply & Sewerage Board etc.
12. Forest and Wildlife and eco-sensitive zones, if any in the study area of 10 Km Clearances required under the Forest (Conservation) Act, 1980, the Wildlife (Protection Act, 1972 and/or the Environment (Protection) Act, 1986.
13. Baseline environmental study for ambient air (PM10, PN2.5, SO2, NOx & CO), water (both surface and ground), noise and soil for one season (except monsoon period) as per MoEF & CC/CPCB guidelines at minimum 5 locations in the study area of 10 Km.
14. Details on flora and fauna and socio-economic aspects in the study area.
15. Likely impact of the project on the environmental parameters (ambient air, surface and ground water, land, flora and fauna and socio-economic, etc.)
16. Sources of water for different identified purpose with the permissions required from the concerned authorities, both for surface water and the ground water (by CGWA) as the case may be, Rain water harvesting, etc.
17. Waste water management (treatment, reuse and disposal) for the project and also the study area
18. Management of solid waste and the construction & demolition waste for the project vis-à-vis the Solid Waste Management Rules, 2016 and the Construction & Demolition Rules, 2016.

19. Energy efficient measures (LED lights, solar power, etc) during construction as well as during operational phase of the project.
20. Assessment of ecological damage with respect to flora & fauna, air, water, land and other environmental attributes. The collection and analysis of data shall be done by an environmental laboratory duly notified under the Environmental (Protection) Act, 1986, or an environmental laboratory accredited by NABL, or a laboratory of a Council of Scientific and Industrial Research (CSIR) institution working in the field of environment.
21. Preparation of EMP comprising remediation plan and natural community resource augmentation plan corresponding to the ecological damage assessed and economic benefits derived due to violation.
22. The remediation plan and the natural and community resource augmentation plan to be prepared as an independent chapter in the EIA report by the accredited consultant.
23. Cost of project with documentary evidences wrt impose penalty as per point no 12 of SOP of MoEF&CC dated 07/07/21. Proof of expenditure done till date against project cost shall be submitted with CA certificate considering all credible documents such as ITR, valuation etc taken in to consideration for assessment and same shall be appended with the EIA report.
24. Proof of initiation credible action under E (P) Act, 1986.
25. Carbon emission foot print analysis shall be studied and discussed in EIA report with details of CO2 emission & quantification from different sources as DG sets and their management plan w.r.t. carbon foot print.
26. STP proposal so as to achieve BOD less than or equal to 3.0 mg/l, shall be submitted along with the proposal for filter press.
27. Proposed Green area shall be 33% with plantation scheme & species as suggested by the committee.
28. Looking to the use of e-vehicles appropriate battery charging points per towers shall be provided.
29. Proposed contribution of solar light shall be 30 % of total power consumption.
30. Provision of Roof top greening, roof top solar panel and electric charging points.
31. For indoor air quality the ventilation provisions shall be made in few rooms as per National Building Code of India.
32. Provision of Public Facilities (Toilets for men & women separately) in appropriate numbers to the house hold workers and visitors.

16. <u>Case No 10814/2023 Shri Umesh Kumar Singh, Director, M/s Mccmahadeo Constructions Private Limited, R/o B-27/70, Barhar Kothi, Gurudham Crossing, Durgakund Road, District-Varanasi (UP)-221005, Prior Environment Clearance for Biradeo Stone Quarry in an area of 5.908 ha. (325000 TPA) (Khasra No. 369/1/ख/1/3, 374/7/क/1/4, 327/6, 326/6, 324/6, 323/6, 322/6, 320/6, 319/6, 318/6, 317/2/च, 317/2/ड, 318/5, 319/5, 320/5, 322/5, 323/5, 326/2, 317/2/ख, 319/2, 322/2, 323/2, 325/1/4, 318/2, 320/2, 318/4, 319/4, 320/4 322/4, 323/4, 324/4, 326/4, 771/1, 771/2, 317/1/क, 317/3, Village: Biradei, Tehsil: Hanumana, District: Mauganj (Old- District Rewa), M.P.</u>

प्रस्तावित स्टोन खदान बी–1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए टॉर का है, जिसमें आज दिनांक 04/01/2024 को परियोजना प्रस्तावक उमेश कुमार सिंह, ऑनलाईन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री संजय सिंह, ऑनलाईन मेसर्स P and M Solutions, Noida (U.P.) उपस्थित हुए उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना का नाम व पता	Shri Umesh Kumar Singh, Director, M/s MCCMAHADEO CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED, B- 27/70, Barhar Kothi, Gurudham Crossing, Durgakund Road, Varansi (U.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	369/1/ख/1/3, 374/7/क/1/4, 327/6, 326/6, 324/6, 323/6, 322/6, 320/6, 319/6, 318/6, 317/2/च, 317/2/ड, 318/5, 319/5, 320/5, 322/5, 323/5, 326/2, 317/2/ख, 319/2, 322/2, 323/2, 325/1/4, 318/2, 320/2, 318/4, 319/4, 320/4 322/4, 323/4, 324/4, 326/4, 771/1, 771/2, 317/1/क, 317/3, (निजी–नॉन फॉरेस्ट लेंड, कलेक्टर के पत्र दिनांक 10/04/23 अनुसार भू–स्वामियों की सहमति परियोजना प्रस्तावक को प्राप्त है)	5.908 hectare.
स्थल	Village: Biradei, Tehsil: Hanumana, District: Mauganj (Old- Rewa), Madhya Pradesh.	
लीज स्वीकृति	संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, म.प्र. भोपाल का पत्र क्रमांक 6774–76 दिनांक 02/06/23 द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर–3,25,000 टीपीए हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर–3,25,000 टीपीए है।	
500 मीटर की परिधि में	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रीवा के एकल प्रमाण–पत्र	

अन्य खदानें	क्रमांक 2969 दिनांक 04/09/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 03 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 13.035 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रीवा के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2969 दिनांक 04/09/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रीवा के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2969 दिनांक 04/09/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत बीरादेई जिला रीवा के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक–9 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रीवा के पत्र क्रमांक 2970 दिनांक 04/09/23 अनुसार उक्त उत्खनिपट्टा को आगामी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित कर लिया जावेगा ।

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो व निम्न विशिष्ट शर्तो के साथ टॉर जारी करने की समिति अनुशंसा करती हैः–

1. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों(जैसे प्राकृतिक नाला, नदी, नहर, आबादी कच्ची एवं पक्की सडक, पुरातत्व महत्व के स्थल इत्यादि) की खदान से दूरी दर्शातें हुये एवं स्थानवार मापदण्ड छोडते हुये सरफेस मेप को ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
2. कलस्टर मैनेजमेन्ट प्लान ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
3. खदान क्षेत्र का ड्रोन व्हिडियों ग्राफी ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
4. भू–स्वामीत्व के अभिलेख (Private / Govt. and Landuse) ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
5. प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, अतः उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ के फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।

6. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन् क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई. आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
7. यदि भू–जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
8. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टेंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
9. ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
10. भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन तथा ऑल्टरनेट ग्रेजिंग लैण्ड मैनेजमेंट योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
11. परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करे जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज हो ।

17. <u>Case No 10813/2023 Shri Umesh Kumar Singh, Director, M/s Mccmahadeo Constructions Private Limited, R/o B-27/70, Barhar Kothi, Gurudham Crossing, Durgakund Road, District-Varanasi (UP)-221005, Prior Environment Clearance for Sardaman Stone Quarry in an area of 5.044 ha. (187500 TPA) (Khasra No. 50/3,52/3, 80/3, 58/3, 60/3, 44/3, 36/3, 50/2, 55/1, 52/2, 80/2, 51/1, 36/2, 58/5, 36/5, 52/5, 80/5, 50/5, 36/4, 52/4, 50/4, 80/4, 58/4, 36/1/1, 57/1/2, 58/1, 60/1), Village-Sardaman, Tehsil-Hanumana, District-Rewa (MP) .(TOR)</u>

प्रस्तावित स्टोन खदान बी–1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए टॉर का है, जिसमें आज दिनांक 04/01/2024 को परियोजना प्रस्तावक उमेश कुमार सिंह, ऑनलाईन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री संजय सिंह, ऑनलाईन मेसर्स P and M Solutions, Noida (U.P.) उपस्थित हुए उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना का नाम व पता	Shri Umesh Kumar Singh, Director, M/s MCCMAHADEO CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED, B- 27/70, Barhar Kothi, Gurudham Crossing, Durgakund Road, Varansi (U.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	50/3,52/3, 80/3, 58/3, 60/3, 44/3, 36/3, 50/2, 55/1, 52/2, 80/2, 51/1, 36/2, 58/5, 36/5, 52/5, 80/5, 50/5, 36/4, 52/4, 50/4, 80/4, 58/4, 36/1/1, 57/1/2, 58/1, 60/1 (निजी–नॉन फॉरेस्ट लेंड) (कलेक्टर के पत्र दिनांक 10/04/23 अनुसार भू–स्वामियों की सहमति परियोजना प्रस्तावक को प्राप्त है)	5.044 hectare.

709वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 04 जनवरी 2024

स्थल	Village: Sardaman, Tehsil: Hanumana, District: Mauganj (Old- Rewa), Madhya Pradesh.
लीज स्वीकृति	संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, म.प्र. भोपाल का पत्र क्रमांक 6770–72 दिनांक 02/06/23 द्वारा स्वीकृत ।
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर–1,87,500 टीपीए हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर–1,87,500 टीपीए है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रीवा के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2967 दिनांक 04/09/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 04 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 13.927 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रीवा के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2967 दिनांक 04/09/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं हैं और आयुक्त रीवा संभाग रीवा की अध्यक्षता में वन समिति के समक्ष प्रकरण को निराकरण हेतु प्रेषित किया गया । आवेदित क्षेत्र 250 मीटर की परिधि में होने के कारण प्रकरण में बैठक दिनांक 29/12/21 को समिति द्वारा वन सीमा से 100 मीटर दूरी छोड़कर उपलब्ध क्षेत्र में स्वीकृत अनुमति प्रदान की गई है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रीवा के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 2967 दिनांक 04/09/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत सरदमन जिला मऊगंज के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक–2 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रीवा के पत्र क्रमांक 2968 दिनांक 04/09/23 अनुसार उक्त उत्खनिपट्टा को आगामी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित कर लिया जावेगा ।

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो व निम्न विशिष्ट शर्तो के साथ टॉर जारी करने की समिति अनुशंसा करती है:–

1. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों(जैसे प्राकृतिक नाला, नदी, नहर, आबादी कच्ची एवं पक्की सडक, पुरातत्व महत्व के स्थल इत्यादि) की खदान से दूरी दर्शातें हुये एवं स्थानवार मापदण्ड छोडते हुये सरफेस मेप को ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
2. स्वीकृत खदान की क्रानोलॉजी प्लान बजट के साथ ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
3. कलस्टर मैनेजमेन्ट प्लान बजट के साथ ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
4. खनन के कारण आसपास की कृषि भूमि पर पडने वाले दुष्प्रभावों का अध्ययन कृषि विज्ञान केन्द्र रीवा से कराकर ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
5. खदान क्षेत्र में क्रशर/एमसेंड प्लान्ट लगाया जाना प्रस्तावित है इस गतिविधि से उत्सर्जित होने वाले कार्बन फुट प्रिंट एवं उसके प्रबंधन के उपाय ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
6. खदान क्षेत्र का ड्रोन व्हिडियों ग्राफी ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
7. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन् क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई. आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
8. यदि भू–जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
9. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टेंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
10. ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
11. भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन तथा ऑल्टरनेट ग्रेजिंग लैण्ड मैनेजमेंट योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
12. परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करे जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज हो ।

18. <u>Case No 10815/2023 M/s Radha Krishna Stone Works, R/o Village - Post - Bathiya, Main Road, District-Satna (MP)-485774, Prior Environment Clearance for Bathia Stone and M-Sand Quarry in an area of 3.914 ha. (121877.5 TPA) (Khasra No. 594/1, 594/3, 597/2, 595/4, 595/2, 645, 646, 648/3 and 647), Village-Batiya, Tehsil-Maihar, District-Satna (MP) [449625] (TOR)</u>

प्रस्तावित स्टोन खदान बी–1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए टॉर का है, जिसमें आज दिनांक 04/01/2024 को परियोजना प्रस्तावक एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री संजय सिंह, ऑनलाईन मेसर्स P and M Solutions, Noida (U.P.) उपस्थित हुए उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

709वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 04 जनवरी 2024

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना का नाम व पता	Shri RADHA KRISHNA STONE WORKS, Village - Post - Bathiya, Main Road Bathiya, satna (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	594/1, 594/3, 597/2, 595/4, 595/2, 646, 648/3 and 647 (परियोजना प्रस्तावक स्वयं कीनिजी–नॉन फॉरेस्ट लेंड) 645 (tribal land), (भू–स्वामी की सहमति परियोजना प्रस्तावक को प्राप्त है)	3.914 hectare.
स्थल	Village- Bathia, Tehsil - Maihar, District - Maihar, Madhya Pradesh.	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सतना के पत्र क्रमांक1646 दिनांक 18/08/23 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर एवं एम सेंड–1,21,877.5 टीपीए हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर एवं एम सेंड–1,21,877.5 टीपीए है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सतना के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1721 दिनांक 25/08/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 05 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 15.791 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–1 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सतना के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1721 दिनांक 25/08/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सतना के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1721 दिनांक 25/08/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत बठिया जिला सतना के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक–3 दिनांक 01/07/23 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।	
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सतना के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1722 दिनांक 25/08/23 अनुसार उक्त उत्खनिपट्टा को नवीन डिस्ट्रिक सर्वे रिपोर्ट में शामिल किया जावेगा ।	

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो व निम्न विशिष्ट शर्तो के साथ टॉर जारी करने की समिति अनुशंसा करती हैः–

1. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों(जैसे प्राकृतिक नाला, नदी, नहर, आबादी कच्ची एवं पक्की सडक, पुरातत्व महत्व के स्थल इत्यादि) की खदान से दूरी दर्शातें हुये एवं स्थानवार मापदण्ड छोडते हुये सरफेस मेप को ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
2. कलस्टर मैनेजमेन्ट प्लान बजट के साथ ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
3. खदान क्षेत्र में क्रशर/एमसेंड प्लान्ट लगाया जाना प्रस्तावित है इस गतिविधि से उत्सर्जित होने वाले कार्बन फुट प्रिंट एवं उसके प्रबंधन के उपाय ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
4. खदान क्षेत्र का ड्रोन व्हिडियों ग्राफी ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
5. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन् क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
6. यदि भू–जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई. आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
7. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टेंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
8. ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
9. भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन तथा ऑल्टरनेट ग्रेजिंग लैण्ड मैनेजमेंट योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
10. परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करे जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज हो ।

19. Case No 10820/2023 Shri Ish Kumar Sood, Partner, M/s Sahyog Metals, R/o E-2/42, Arera Colony, R S Nagar, District-Bhopal (MP)-462016, Prior Environment Clearance for Bamladad Stone Quarry in an area of 3.90 ha. (20001 cum per year) (Khasra No. 97), Village-Bamala Dad, Tehsil-Ichhawar, District-Sehore (MP) TOR)

प्रस्तावित पत्थर खदान बी–1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए टॉर का है, जिसमें आज दिनांक 04/01/2024 को परियोजना प्रस्तावक **Shri Ish Kumar Sood, Online_**एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अजय मोहन, मेसर्स इन सिटू इंवयारो केयर, भोपाल उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri Ish Kumar Sood, Partner, M/s SAHYOG METALS, E-2/42, Arera Colony Bhopal R.S. Nagar Madhya Pradesh- 462016.

खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी /निजी)	97 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	3.90 hectare.
स्थल	Village- Bamladad, Tehsil-Ichhawar, District- Sehore (M.P.)	
लीज स्वीकृति	संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, म.प्र. भोपाल का पत्र क्रमांक 7865–69 दिनांक 23/06/23 द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर–20,001 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर–20,001 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिहोर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 3623 दिनांक 29/08/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 07.80 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–1 श्रेणी का है।	
वनमण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिहोर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 3623 दिनांक 29/08/23 अनुसार राता पानी अभ्यारण्य बीट झिरी से 5.745 कि.मी. की दूरी पर स्थित है, शेष अन्य 10 किलोमीटर की परिधि में एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिहोर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 3623 दिनांक 29/08/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत बलोंडिया जिला सिहोर के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 05/12/15 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।	
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिहोर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 3623 दिनांक 29/08/23 अनुसार उक्त खदान नवीन डीएसआर में जोड़ी जावेगी ।	

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो व निम्न विशिष्ट शर्तो के साथ टॉर जारी करने की समिति अनुशंसा करती है:–

1. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों(जैसे प्राकृतिक नाला, नदी, नहर, आबादी कच्ची एवं पक्की सडक, पुरातत्व महत्व के स्थल इत्यादि) की खदान से दूरी दर्शातें हुये एवं स्थानवार मापदण्ड छोडते हुये सरफेस मेप को ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
2. खदान क्षेत्र के बीच में से रोड निकल रहा है इस संबंध में एम.पी.रोड एम.पी.रोड डेव्हल्पमेंट से अभिमत/उपयोगीता प्राप्त कर ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
3. खदान क्षेत्र का ड्रोन व्हिडियों ग्राफी ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
4. प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, अतः उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ के फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
5. कलस्टर मैनेजमेन्ट प्लान बजट के साथ ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
6. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन् क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई. आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
7. यदि भू–जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
8. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टेंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
9. ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
10. भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन तथा ऑल्टरनेट ग्रेजिंग लैण्ड मैनेजमेंट योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
11. परियोजना प्रस्तावक ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करे जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज हो ।

20. <u>Case No 10811/2023 Shri Ranbir Tomar, Owner, R/o EH 09, DD Nagar, District-Gwalior (MP)-474020, Prior Environment Clearance for Khurdhh Soil Quarry in an area of 1.00 ha. (3000 cum per year) (Khasra No. 148, 149/1, 150/1, 153/1, 154/1, 156/1), Village-Khurd, Tehsil-Morena, District-Morena (MP)</u>

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 04/01/2024 को परियोजना प्रस्तावक Shri Ranbir Tomar, Owner एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री आशिष त्रिपाठी, मे0. ए.जी.एस. इंवारोमेंटल सर्विसेस प्रा. लि. दिल्ली उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

709वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 04 जनवरी 2024

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी /संस्थान का नाम व पता	Shri Ranbir Tomar, Owner, R/o EH 09, DD Nagar, District-Gwalior (MP)-474020, Prior Environment Clearance for Khurdhh Soil Quarry in an area of 1.00 ha. (3,000 cum per year) (Khasra No. - 148, 149/1, 150/1, 153/1, 154/1, 156/1), Village-Khurd, Tehsil-Morena, District-Morena (MP) [448909].
परियोजना का खसरा नं./लीज क्षेत्रफल	खसरा नं.–148, 149/1, 150/1, 153/1, 154/1, 156/1, एरिया– 1.00 ha., निजि भूमि
परियोजना स्थल	ग्राम– खुर्द, तहसील – मुरैना, जिला– मुरैना, (म.प्र.).
सैंधातिक सहमति	पत्र क0. 234 दिनांक 23/02/2023.
परियोजना की श्रेणी	बी–2.
खनन् कार्य ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	No Blasting Proposed (Semi-mechanized in Soil Case).
डिया द्वारा जारी ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नही।
उत्पादन क्षमता	**स्वाईल – 3,000** घन मी/वर्ष।
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित /स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण।	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मुरैना के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 357 दिनांक 20/06/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें स्वीकृत नही है, जिनको मिलाकर कुल रकबा 1.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मुरैना के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 357 दिनांक 20/06/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मुरैना के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 357 दिनांक 20/06/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, नाला इत्यादि स्थित नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/	ग्राम पंचायत– नावली बड़ागांव जिला – मुरैना का ठहराव प्रस्ताव क0. 03 दिनांक 26/01/2020 द्वारा अनापत्ति पत्र जारी किया गया है।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Existed -01 Tree Felling - No
प्रस्तावित खदान की गूगल इमेज अनुसार स्थिति (यदि सेटबैक	उत्तर दिशा– नदी लगभग 194 मी. दक्षिण दिशा– कच्चा रोड लगभग 198 मी.

आवश्यक हो)	
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मुरैना के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 357 दिनांक 20/06/2023 द्वारा अवगत कराया कि उक्त खदान का नाम जिले की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट मे जोडी जावेगी। समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता **स्वाईल – 3,000** मी^{3} प्रति वर्ष।
2. खदान क्षेत्र में क्लिन नहीं लगाई जावेगी।
3. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 06.03 लाख एवं रिक्करिंग राशि रू. 01.10 लाख प्रति वर्ष।
4. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.40 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.ई.आर मद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रू0. में)
सी.ई.आर मद से 40,000 की राशी पालक शिक्षक संघ समिति ग्राम खुर्द के शासकीय प्राथमिक शाला के खाते में शाला विकास कार्य हेतु जमा की जावेगी।	**40,000/-**

5. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 1200 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	आम, अमरूद, जामुन, कटहल, मुनगा, सीताफल, एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातियां	बैरियर जोन मे वृक्षारोपण	300

2	सीताफल, आवलॉ,अमरुद, ग्राफ्टिंग मुनगा, पपीता ,निम्बू, आम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	750
3	करंज, कदम , चिरोल, जंगल जलेबी , एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	परिवहन मार्ग के दोनों तरफ (मीटर 1 पेड़ों की न्यूतम ऊंचाई)	150

(चंद्र मोहन ठाकुर)
सदस्य सचिव

(डॉ. पी.सी. दुबे)
अध्यक्ष

Following standard conditions shall be applicable for the mining projects of minor mineral in addition to the specific conditions and cases appraised for grant of TOR:

Annexure- 'A'

Standard conditions applicable to Stone/Murrum and Soil quarries:

1. Mining should be carried out as per the submitted land use plan and approved mine plan. The regulations of danger zone (500 meters) prescribed by Directorate General of Mines safety shall also be complied compulsorily and necessary measures should be taken to minimize the impact on environment.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and fenced from all around the site. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded along with annual record of water consumed in sprinkling during Summer (February to May/June) and winter session (October to January) separately.
4. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
5. Mineral evacuation road shall be made pucca (WBM/black top) by PP.
6. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
7. Crusher with inbuilt APCD & water sprinkling system shall be installed minimum 100 meters away from the road and 500 meters away from the habitations only after the permissions of MP Pollution Control Board with atleast 04 meters high wind breaking wall of suitable material to avoid fugitive emissions.
8. Working height of the loading machines shall be compatible with bench configuration.
9. Slurry Mixed Explosive (SME) shall be used instead of solid cartridge.
10. The OB shall be reutilized for maintenance of road. PP shall bound to compliance the final closure plan as approved by the IBM.
11. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
12. Six monthly occupational health surveys of workers for Cardio-vascular & Pulmonary health, vital parameters as prescribed by concerned regulatory authority shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
13. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
14. To avoid vibration, no overcharging shall be carried out during blasting and muffle blasting shall be adopted. Blasting shall be carried out through certified blaster only and no explosive will be stored at mine site without permission from the competent authority.
15. Mine water should not be discharged from the lease and be used for sprinkling & plantations. For surface runoff and storm water garland drains and settling tanks (SS pattern) of suitable sizes shall be provided.
16. All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development and beneficiation plant. Regular de-silting of drains and pits should be carried out.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.

19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area. PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. All the mines where production is > 50,000 cum/year, PP shall develop its own website to display various mining related activities proposed in EMP & CER along with budgetary allocations. All the six monthly progress report shall also be uploads on this website along with MoEF&CC & SEIAA, MP with relevant photographs of various activities such as garland drains, settling tanks, plantation, water sprinkling arrangements, transportation & haul road etc. PP or Mine Manager shall be made responsible for its maintenance & regular updation.
24. All the soil queries, the maximum permitted depth shall not exceed 02 meters below general ground level & other provisions laid down in MoEF&CC OM No. L-11011/47/2011-IA.II(M) dated 24/06/2013.
25. The mining lease holders shall after ceasing mining operation, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora , fauna etc. Moreover, a separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
26. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
27. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
28. Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required.
29. A display board (in hindi) with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
    a. Lease owner's Name, Contact details etc.
    b. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
    c. Length, breadth, sanctioned depth of mine and mining time.
    d. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
    e. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised) and Blasting or Non-blasting.
    f. Plantation and CER activities.
30. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
31. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out as per submitted plantation scheme and along the fencing seed sowing of Neem, Babool, Safed Castor etc shall also be carried out.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.

34. Before onset of monsoon season as per submitted plantation scheme fruit bearing species preferably of fodder / native shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

Annexure- 'B'

Standard conditions applicable for the Sand Mine Quarries*

1. District Authority should annually record the deposition of sand in the lease area (at an interval of 100 meters for leases 10 ha or > 10.00 ha and at an interval of 50 meters for leases < 10 ha.) before monsoon & in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority shall allow lease holder to excavate only the replenished quantity of sand in the subsequent year.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
4. Only registered vehicles/tractor trolleys with GPS which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for said purpose.
5. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
6. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
7. Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometer (1Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side.
8. Mining depth should be restricted to 3 meters or water level, whichever is less and distance from the bank should be $1/4^{th}$ or river width and should not be less than 7.5 meters. No in-stream mining is allowed. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified.
9. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to the start of mining.
10. PP shall carry out independent environmental audit atleast once in a year by reputed third party entity and report of such audit be placed on public domain such audits be placed on public domain through website developed for public interface along with photographs of work done w.r.t. EMP as well as CER.
11. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
12. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 issued by the MoEF&CC ensuring that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan.
13. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
14. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.
15. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.

16. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
17. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights. All these facilities such as rest shelters, site office etc. Shall be removed from site after the expiry of the lease period.
18. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020 and these details should be provided in Annual Environmental Statement.
19. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
20. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
21. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
22. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
23. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
24. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
25. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
26. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M dated 16/01/2020.
27. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
28. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
    g. Lease owner's Name, Contact details etc.
    h. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
    i. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
    j. Minable Potential of sand mine.
    k. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
    l. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised)
30. Following conditions must be implemented by PP in case of sand mining as per NGT (CZ) order dated 19/10/2020 in OA NO. 66/2020 and SEIAA's instruction vide letter No. 5084 dated 09/12/2020.
    i. The Licensee must use minimum number of poclains and it should not be more than two in the project site.
    ii. The District Administration should assess the site for Environmental impact at the end of first year to permit the continuation of the operation.
    iii. The ultimate working depth shall be 01 m from the present natural river bed level and the thickness of the sand available shall be more than 03 m the proposed quarry site.
    iv. The sand quarrying shall not be carried out blow the ground water table under any circumstances. In case, the ground water table occurs within the permitted depth at 01 meter, quarrying operation shall be stopped immediately.
    v. The sand mining should not disturb in any way the turbidity, velocity and flow pattern of the river water.

vi. After closure of the mining, the licensee shall immediately remove all the sheds put up in the quarry and all the equipments used for operation of sand quarry. The roads/pathways shall be leveled to let the river resume its normal course without any artificial obstruction to the extent possible.

vii. The mined out pits to be backfilled where warranted and area should be suitable landscaped to prevent environmental degradation.

viii. PP shall adhere to the norms regarding extent and depth of quarry as per approved mining plan. The boundary of the quarry shall be properly demarcated by PP.

31. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the river banks for bank stabilization and to check soil erosion while on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
37. As per Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 , Page no. 24 Para (r) minimum 7.5 meters (inward) "from the river…….bank" shall be restricted should be followed in verbatum as the para says.
38. **विगत वर्षो में जारी पूर्व पर्यावरण स्वीकृति में एवं वर्तमान में जारी पर्यावरण स्वीकृति में उल्लेखित समस्त शर्तो का पालन मध्यप्रदेश स्टेट माईनिंग कॉर्पोरेथन द्वारा सुनिश्चित किया जावेगा।**
39. **पूर्व एवं वर्तमान ई.सी. शर्तो का पालन प्रतिवेदन निर्धारित समयावधि में एम.ओ.ई.एफ. एण्ड सी.सी. तथा एम.पी. सिया, के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।**

Annexure- 'C'

Standard conditions applicable for the Sand deposits on Agricultural Land/ Khodu Bharu Type Sand Mine Quarries*

1. Mining should be done only to the extent of reclaiming the agricultural land.
2. Only deposited sand is to be removed and no mining/digging below the ground level is allowed.
3. The mining shall be carried out strictly as per the approved mining plan.
4. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
5. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.

6. The mining activity shall be done as per approved mine plan and as per the land use plan submitted by PP.
7. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
8. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
9. For carrying out mining in proximity to any bridge and/or embankment, appropriate safety zone on upstream as well as on downstream from the periphery of the mining site shall be ensured taking into account the structural parameters, location aspects, flow rate, etc., and no mining shall be carried out in the safety zone.
10. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
11. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 issued by the MoEF&CC.
12. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
13. Thick plantation shall be carryout on the banks of the river adjacent to the lease, mineral evacuation road and common area in the village. PP would maintain the plants for five years including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations.
14. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
15. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
16. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
24. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
25. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
26. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
    m. Lease owner's Name, Contact details etc.
    n. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
    o. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
    p. Minable Potential of sand mine.

q. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
r. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised)

27. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the nearby river banks for bank stabilization and to check soil erosion while dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
28. Dense plantation shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
29. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme.
30. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
31. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. Plantation in adjoining forest land shall be carried out through concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
32. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
33. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
34. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
35. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
36. The monitoring of the compliance of the conditions incorporated in the Environmental Clearance issued prior to the State Mining Corporation shall be carried out through the District mining office at District level and compliances be communicated to SEIAA within 06 months.
37. Riparian habitat including vegetative cover on and adjacent to the river bank controls erosion, provide nutrient inputs into the stream and prevent intrusion of pollutatns in the stream through runoff. Bank erosion and change of morphology of the river can destroy the riparian vegetative cover should be protected.
38. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to start of mining.
39. The State Mining Corporation shall constitute an Environmental Cell including minimum of three persons qualified in the field to ensure the compliance of EC conditions.
40. The State Mining Corporation shall ensure the compliance of the different provision made in the Sand Mining Management Guidelines-2016 & Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020, with Special reference to the para 4.3 and para-8 at page no. 45 of the said Guidelines.
41. Sand and gravel shall not be allowed to be extracted where erosion may occur, such as at the concave bank.

42. The slope of mining area adjacent to agricultural fields should be proper (preferably 45 degree) and adequate gap (minimum 10 feet) be left from adjacement agricultural field to avoid erosion and scouning.
43. In sand mining over other areas apart from river bed replenishment study in the said area be carriedout every year by Mining Officer and subject to availability of sand quantity mining should allowed by Mining Officer during EC period as Sand replacement in such areas are subject to certain conditions and not a regular feature.
44. The top soil in Khodu-Bharu Sand mine shall be stored separately and shall be used for agriculture field only; it should not be washed away during sand washing process.

Annexure- 'D'

General conditions applicable for the granting of TOR

1. The date and duration of carrying out the baseline data collection and monitoring shall be informed to the concerned Regional Officer of the M.P Pollution Control Board.
2. During monitoring, photographs shall be taken as a proof of the activity with latitude & longitude, date, time & place and same shall be attached with the EIA report. A drone video showing various sensitivities of the lease and nearby area shall also be shown during EIA presentation.
3. An inventory of various features such as sensitive area, fragile areas, mining / industrial areas, habitation, water-bodies, major roads, etc. shall be prepared and furnished with EIA.
4. An inventory of flora & fauna based on actual ground survey shall be presented.
5. Risk factors with their management plan should be discussed in the EIA report.
6. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
7. The EIA document shall be printed on both sides, as far as possible.
8. All documents should be properly indexed, page numbered.
9. Period/date of data collection should be clearly indicated.
10. The letter /application for EC should quote the SEIAA case No./year and also attach a copy of the letter prescribing the TOR.
11. The copy of the letter received from the SEAC prescribing TOR for the project should be attached as an annexure to the final EIA/EMP report.
12. The final EIA/EMP report submitted to the SEIAA must incorporate all issues mentioned in TOR and that raised in Public Hearing with the generic structure as detailed out in the EIA report.
13. Grant of TOR does not mean grant of EC.
14. The status of accreditation of the EIA consultant with NABET/QCI shall be specifically mentioned. The consultant shall certify that his accreditation is for the sector for which this EIA is prepared. If consultant has engaged other laboratory for carrying out the task of monitoring and analysis of pollutants, a representative from laboratory shall also be present to answer the site specific queries.
15. On the front page of EIA/EMP reports, the name of the consultant/consultancy firm along with their complete details including their accreditation, if any shall be indicated. The consultant while submitting the EIA/EMP report shall give an undertaking to the effect that the prescribed TORs (TOR proposed by the project proponent and additional TOR given by the MOEF & CC) have been complied with and the data submitted is factually correct.
16. While submitting the EIA/EMP reports, the name of the experts associated with involved in the preparation of these reports and the laboratories through which the samples have been got analyzed should be stated in the report. It shall be indicated whether these laboratories are approved under the Environment (Protection) Act, 1986 and also have NABL accreditation.
17. All the necessary NOC's duly verified by the competent authority should be annexed.
18. PP has to submit the copy of earlier Consent condition /EC compliance report, whatever applicable along with EIA report.
19. The EIA report should clearly mention activity wise EMP and CER cost details and should depict clear breakup of the capital and recurring costs along with the timeline for incurring the capital cost. The basis of allocation of EMP and CER cost should be detailed in the EIA report to enable the comparison of compliance with the commitment by the monitoring agencies.
20. A time bound action plan should be provided in the EIA report for fulfillment of the EMP commitments mentioned in the EIA report.

21. The name and number of posts to be engaged by the PP for implementation and monitoring of environmental parameters should be specified in the EIA report.
22. EIA report should be strictly as per the TOR, comply with the generic structure as detailed out in the EIA notification, 2006, baseline data is accurate and concerns raised during the public hearing are adequately addressed.
23. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
24. Public Hearing has to be carried out as per the provisions of the EIA Notification, 2006. The issues raised in public hearing shall be properly addressed in the EMP and suitable budgetary allocations shall be made in the EMP and CER based on their nature.
25. Actual measurement of top soil shall be carried out in the lease area at minimum 05 locations and additionally N, P, K and Heavy Metals shall be analyzed in all soil samples. Additionally in one soil sample, pesticides shall also be analyzed.
26. A separate budget in EMP & CER shall be maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
27. PP shall submit biological diversity report stating that there is no adverse impact in- situ and on surrounding area by this project on local flora and fauna's habitat, breeding ground, corridor/ route etc. This report shall be filed annually with six-monthly compliance report.
28. The project proponent shall provide the mitigation measures as per MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area" with EIA report.
29. LPG gas may be provided for camping labour under "Ujjwala Yojna .
30. In the project where ground water is proposed as water source, the project proponent shall apply to the competent authority such as Central Ground Water Authority (CGWA) as the case may be for obtaining, No Objection Certificate (NOC).
31. Consideration of mining proposals involving violation of the EIA Notification, 2006, the project proponent shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 02/08/2017 in WP © No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause V/s Union of India & others before grant of TOR/EC. The under taking interalia includes commitment of the PP not to repeat any such violation in future as per MoEF&CC OM No. F.NO. 3-50/2017-IA.III (Pt.) dated 30/05/2018.
32. The mining project proponents involving violations of the EIA Notification, 2006 under the provisions of S.O. 804 (E) dated 14/03/2017 and subsequent amendments for TOR/EC shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. Before grant of TOR/EC the undertaking inter-alia include commitment of the PP not to repeat any such violation of future. In case of violation of above undertaking, the TOR/Environmental Clearance shall be liable to be terminated forthwith.
33. If the allotted land is private land and agricultural practices are being carriedout in the nearby area, the effect of mining on agricultural practices shall be studied and dicussed in the EIA report with the economic value of agricultural produce for last three yaears and details of total land holding of the PP in that district.
34. In case of mining on land where the land belongs to Charagah (Grazing) as per P-II form, proposal for development of equal area of land as grazing land shall be submitted with EIA report with its budgetary provisions. This Grazing land can be developed in consultation with DFO or Gram Panchayat of concerned area.
35. Under CER scheme commitments with physical targets shall be included in EIA report for:

    - ✓ Proposal for CER activities based upon commitment made during public hearing and COVID-19 pandemic.
    - ✓ Activities such as solar panels in school, awareness camps for Oral Hygiene, Diabetes and Blood Pressure, works related to plantation (distribution of fruit & fodder bearing trees) vaccination, cattle's health checkup etc. in concerned village shall be proposed.
    - ✓ No fuel wood shall be used as a source of energy by mine workers. Thus proposal for providing solar cookers / LPG gas cylinders under "Ujjwala Yojna" to them who are residing in the nearby villages, shall be considered.
    - ✓ PP's commitment that activities proposed in the CER scheme will be completed within initial 03 years of the project and in the remaining years shall be maintained shall be submitted with EIA report.

36. Under Plantation Scheme commitments with budgetary allocations shall be included in EIA report for :
   - ✓ Comprehensive green belt plan with commitment that entire plantation shall be carried out in the initial three years and will be maintained thereafter with causality replacement. Proposal for distribution of fruit bearing species for nearby villagers shall also be incorporated in the plantation scheme and for which a primary survey for need assessment in concerned village shall be carried out.
   - ✓ Commitment that plantation shall be carried out preferably through Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
   - ✓ Commitment that high density plantation (preferably using "Miyawaki Technique or WALMI technique) shall be developed in 7.5m barrier zone left for plantation through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency.
   - ✓ Commitment that local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land suitable for the purpose through Forest Department/ through Gram Panchayat on suitable community land in the concerned village area.
   - ✓ PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
   - ✓ Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, minimum 50 saplings be planted considering 80% survival.
   - ✓ Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.

FOR PROJECTS LOCATED IN SCHEDULED (V) TRIBAL AREA , following should be studied and discussed in EIA Report before Public Hearing as per the instruction of SEIAA vide letter No. 1241 dated 30/07/2018.

37. Detailed analysis by a National Institute of repute of all aspects of the health of the residents of the Schedule Tribal block.
38. Detailed analysis of availability and quality of the drinking water resources available in the block.
39. A study by CPCB of the methodology of disposal of industrial waste from the existing industries in the block, whether it is being done in a manner that mitigate all health and environmental risks.
40. The consent of Gram Sabah of the villages in the area where project is proposed shall be obtained.

खदान क्षेत्र मे किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश :–

नोट 1 :– स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए ।

नोट 2 :– विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रूचि रखने वाले स्थानीय जानकारो से राय ली जाने की सलाह है ।

नोट 3 :– पौधो की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख–रेख, मृदा नमीं को बनाये रखने हेतु मल्चिंग जल–संरचनाओं का निर्माण, निदाई–गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।

नोट 4 :– परिवहन मार्ग के किनारे लगाये जाने वाले पेड़ो के चारो ओर ट्री गार्ड होना आवश्यक है । इसी प्रकार स्कूल/ ऑगनवाडी/पंचायत भवन इत्यादि में प्रस्तावित वृक्षारोपणो के चारो ओर सुरक्षा के इंतजाम जैसे फेंसिग/ट्री गार्ड आवश्यक रूप से प्रस्तावित किये जाये ।

नोट 5 :– भू–क्षरण स्थल पाये जाने पर भू–संरक्षण का कार्य (विशेष रूप से वाटर चेनल के किनारे तथा उत्पत्ति स्थान पर) किया जाना चाहिए।

नोट 6 :– रोपित पौधो का मापदंड एवं अन्य कार्य

क.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम्	गोलाई न्यूनतम्
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 – 03.0 फिट	03–05 से. मी.
2.	रोड़ साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 – 05.5 फिट	05–10 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई–गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) तीन वर्षो तक ।		
4.	आवश्यक्तानुसार सिंचाई एवं प्राथमिकता पर जैविक खाद		

नोट 7 :– बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख–रेख –

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई उपचार, वर्षा पूर्व रोपण। जामुन, महुॅआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् रोपण ।
- अंकुरण पश्चात् 4 से 6 पत्तियॉ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई–गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षो तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।
- सीड–बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

नोट – 8 :– रेत के प्रकरणों में (पौधो की ऊॅचाई न्यूनतम् 1.5 मीटर)

1	एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति की दूरी एवं दूसरी से तीसरी पंक्ति शाकीय पौधे जैसे : खस, घास, अगेव स्थानीय घास बीजप्रजातियॉ।	1.00 से 1.5 मीटर (पंक्ति में पौधो के बीच की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर)
2	4 पंक्ति से 5वीं पंक्ति (वृक्ष प्रजाति)	न्यूनतम् दूरी 3 मीटर (पौधों के बीच में दूरी 03 मीटर)
3	6वीं पंक्ति 3.0 से 5.0 मीटर (वृक्ष प्रजाति)	पौधों के बीच में 3 से 5 मीटर

- (चयनित प्रजातियों एवं नदी के किनारों पर भूमि की उपलब्धता को ध्यान में रखकर आवंटित क्षेत्र से बाहरी दिशा में 10 से 15 मीटर की चौड़ाई में हरित पट्टी विकसित किया जाये)
- नोट – 9 :– छठी पंक्ति हेतु पौधों की सुरक्षा अवधि न्यूनतम् 3 वर्ष
- जामुन, कहवा, करंज, नीम, पौधों में पौधों की दूरी 2.5 मीटर से 5 मीटर लसोड़ा, करंज, आम, इत्यादि ।
- नोट – प्रथम तीन पंक्तियों के पौधों के मध्य में एक वर्षीय औषधि प्रजातियों का बीच छिड़काव ।

1	पहली, दूसरी, तीसरी पंक्ति हेतु (स्थानीय घांस प्रजातियॉ, खस घास बीजअगेव आदि)	पंक्ति से पंक्ति की दूरी 01 से 10.5 फीट पंक्ति में पौधों से पौधों की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर ।
2	स्थाानीय झाड़ी प्रजाति के पौधे	01 11.6 फीटर
3	चौथी से पॉचवी, छठवीं पंक्ति हेतु बॉस एवं स्थानीय झाड़ी प्रजाति ।	पंक्ति की दूरी 2.5 मीटर से 3 मीटर पंक्ति में पौधों की दूरी 3 मीटर से 5 मीटर

- मौसमी नदी के न्यूनतम 05 मीटर तथा पेरिनियल रिवर में न्यूनतम 10मी तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाडियों, लताओ को और घास को क्षति नहीं पहूॅचाई जायेगी।
- रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
- खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई च्तवदम ठतममकपदह ब्मदजमत तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।